॥ ओ३म्

कानून भारतीय रेलवे

सन् १८९०

एक्ट ९ सन् १८९०

विषय-सूची

पहिला परिच्छेद

प्रारम्भिक

दूसरा परिच्छेद

रेलवे का निरीक्षण

तीसरा परिच्छेद

इमारतों का बनाना और स्थिर रखना

चौथा परिच्छेद

रेलवियों का खोलना

पांचवां परिच्छेद

रेलवे कमीशन और ट्राफिक (आने जाने) की सुगमताएं

ट्राफिक की सुगमताएं

छटा परिच्छेद

रेलवे चलाना

सामान्य

सम्पत्ति का लाना ले जाना

यात्रियों का लाना लेजाना

सातवां परिच्छेद

वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धकों का उत्तर दायित्व

आठवां परिच्छेद

दुर्घटनाएं

नवां परिच्छेद

दण्ड और अपराध

रेलवे कंपनियों का दण्ड

९२. धारा ५२ या ८५ के अनुसार नकशों के भेजने में बिलम्ब करने के कारण दण्ड।

९३. पहिये वाली चीज़ों की वाहन-शक्ति सम्बन्धी धारा ५३ या ६२ की आज्ञाओं में असावधानता होने के कारण दण्ड।

९४. यात्रियों और रेलवे के नौकरों के बीच में सूचक सामिग्री स्थिर रखने के लिये धारा ६२ की आज्ञा पालन न करने के कारण दण्ड।

९५. धारा ६४ के अनुसार स्त्रियों के लिये रक्षित कम्पार्टमेन्ट न रखने के कारण दण्ड।

९६. धारा ८३ और धारा ८४ द्वारा आवश्यक दुर्घटनाओं की सूचना न देने के कारण दण्ड।

९७. दण्ड-धन का वसूल किया जाना।

९८. इस परिच्छेद की पूर्वोक्त आज्ञाओं के कारागार, पहले की या पूर्वोक्त स्थिति में।

रेलवे के नौकरों द्वारा अपराध

९९. धारा ६० द्वारा लगाये कर्त्तव्य (ड्यूटी) का पालन न करना।

१००. नशा में होना।

१०१. मनुष्यों की सलामती संशय में डाल देना।

१०२. यात्रियों को उन दरजों में प्रवेश करने के लिये विवश करना जो पहिले ही से भरे हों।

१०३. दुर्घटना की सूचना न देना।

१०४. लेविल क्रासिङ्ग रोकना।

१०५. झूंठे नकशे।

अन्य अपराध

१०६. माल का झूंठा हिसाब देना।

१०७. रेलवे पर अनुचित रूप से भयानक या हानि कर माल लाना

१०८. ट्रेन गाड़ी में सूचक-सामिग्री में अनावश्यकतः हस्तक्षेप करना

१०९. रिजर्वड या पहिले से भरे कंपार्टमेन्ट में प्रवेश करना या न भरे हुए कंपार्टमेंन्ट में प्रवेश करने से रोकना।

११०. तम्बाकू पीना।

१११. सार्वजनिक सूचना पत्रों का बिगाड़ना।

११२. उचित पास या टिकट बिना, छलतः यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना।

११३. बिना पास या टिकट के, या अपर्याप्त पास या टिकट से या उस दूरी से अधिक यात्रा करना जहां तक यात्रा करने का अधिकार हो।

११४. वापिसी टिकट का कोई अद्धा बदलना।

११५ पूर्वोक्त अन्तिम दो धाराओं के जुर्माने के सम्बन्ध में कार्यवाही।

११६. पास या टिकट का बदलना या बिगाड़ना।

११७. रेलवे में छूत या सांक्रामिक रोग सहित यात्रा करना या ऐसे मनुष्य को यात्रा करने देना।

११८. चलती हुई गाड़ी में बैठना, या और तरह अनुचित रूप से रेल में यात्रा करना।

११९. उस गाड़ी या अन्य स्थान पर प्रवेश करना जो स्त्रियों के लिये रिज़र्व हो।

१२०. रेलवे में, नशे में होना या कष्ट कर कार्य करना।

१२१. रेलवे के नौकर को उस के सरकारी काम से रोकना।

१२२. अनुचित प्रवेश और अनुचित प्रवेश से बाज़ आने से इंकार

१२३. ओमनीबस ड्राइवरों का रेलवे के नौकरों की हिदायतों के सम्बन्ध में आज्ञा-उलंघन करना।

१२४. फाटक खोलना या उचित रूप से बन्द न करना।

१२५. पशुओं का अनुचित प्रवेश।

१२६. हानि पहुंचाने की नीयत से ट्रेन गाड़ी बरबाद करना या बरबाद करने का प्रयत्न करना।

१२७. हानि पहुंचाने की नीयत से उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना या पहुंचाने का प्रयत्न करना जो रेलवे से यात्रा कर रहे हों।

१२८. इच्छा युक्त कार्य या कार्य-त्याग द्वारा उन मनुष्यों की सलामती संशय में डालना जो रेलवे में यात्रा कर रहे हों।

१२९. जल्दी या असावधानता के कार्य, या कार्य त्याग द्वारा उन मनुष्यों की सलामती संशय में डालना जो रेलवे में यात्रा कर रहे हों।

१३०. विशेष आज्ञा बच्चों के उन कार्यों के सम्बन्ध में जिन से रेलवे में यात्रा करने वालों की सलामती में संशय पड़े।

कार्य प्रणाली

दसवां परिच्छेद

पूरक आज्ञाऐं

॥ ओ३म ॥

कानून भारतीय रेलवे

अर्थात्

एक्ट ९ सन् १८९०

(२१ मार्च सन १८९०)

भारत में रेलवियोंके सम्बन्धी कानून को संग्रह,संशोधन करने और बढ़ाने के लिये एक्ट

(१ जून सन १९०९ तक संशोधित)

चूंकि यह उचित प्रतीत होता है कि भारत में रेलवियों के सम्बन्धी कानून का संग्रह,संशोधन किया जाय तथा बढ़ाया जाय, अतएव इस के अनुसार निम्न लिखित आज्ञाएं प्रचारित होती हैं:-

पहिला परिच्छेद

प्रारम्भिक

धारा १—(१)यह एक्ट कानून भारतीय रेलवे सन् १८९० के नाम से पुकारा जा सकता है।

नाम |

(१) उद्देश्य और कारणों के वर्णन के लिये देखिये, भारतीय गजट सन् १८८८, भाग ५, पृष्ठ १३३, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिये देखिये भारतीय गजट सन् १८९०, भाग ५, पृष्ठ २३, और कौन्सिल के विवादों के लिये, देखिये भारतीय गज़ट १८८८, भाग ६, पृष्ठ १२४ और १३७. और सन् १८९०, भाग ६, पृष्ठ १५ और ४८।

(दसवें पृष्ठ के शेष फुट नोट)

शैड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट सन १८७४ (१४ सन १८७४) जनरल एक्टस, जिल्द दो, की धारा ३ (क) की विज्ञप्ति द्वारा, एक्ट ९ सन १८९०, निम्न सूची वर्णित जिलों में प्रचालित प्रकट किया गया है:—

तराई के परगने, आगरा प्रान्त, देखिये भारतीय गजट सन १८९० भाग १ पृष्ठ ५९६, जिला हज़ारी बाग, लोहार डांगा (जिस में इस समय पलामऊ का जिला सम्मिलित है जो सन १८९४ में पृथक कर दिया गया था) और मान भूम, और परगना ढाल भूम, और कोलन जिला सिंग भूम में, देखिये वही पृष्ठ ८५९ ।

लोहार डांगा जिला अब जिला रांची कहलाता है, देखिये कलकत्ता गजट १८९९ भाग १ पृष्ठ ४४ ।

संथाल परगनों के बंदोबस्त के रेगूलेशन १८७२ (३ सन १८७२) धारा ३ के अनुसार जैसी कि संथाल परगनाज जस्टिस और ला रेगूलेशन १८९९ (३ सन १८९९) द्वारा संशोधित हुई है, इस का सम्बन्ध संथाल परगनोंसे किया गया है । देखिये पिछले रेगूलेशनकी सूची का दूसरा भाग जैसा १ मार्च सन १९०९ तक संशोधित हुआ है ।

बरमा लाज एक्ट सन १८९८ (१३ सन १८९८) बरमा कोड, के अनुसार यह कानून अपर बरमा (शान स्टेट को छोड़ कर) में प्रचलित प्रकट किया गया है ।

सिन्ध पेशीन रेलवे एक्ट १८८७ (७ सन १८८७) की धारा ३, उपधाराएं (२) और (३) के अनुसार इस एक्ट का सम्बन्ध कुछ संशोधनों के आधीन, नार्थ वेस्टर्न रेलवेके सिन्ध पेशीन स्थित उस भाग से किया गया है, जो सिन्ध प्रान्त के बाहर स्थित है । देखिये एपेन्डिक्स, बाल कोड, पृष्ठ १५६ ।

रेलवे बोर्ड एक्ट १९०५ (४ सन १९०५) इस एक्ट के साथ पढ़ा जायगा और इस का भाग समझा जायगा देखिये वही एक्ट, जनरल एक्टस जिल्द ६, धारा १ (२) ।

(१)
(२) इसका सम्बन्ध समस्त ब्रिटिश भारत से है जिस में प्रचार स्थान । (जहां तक सिन्ध पेशीन रेलवे एक्ट १८८७ के आज्ञाओं के अनुसार इसका सम्बन्ध किया गया है या सम्बन्ध हो सकता है) ब्रिटिश बिलोचिस्तान, सम्मिलित है, और इस का संबन्ध साम्राज्ञी की उस समस्त प्रजा से भी है जो उन भारतीय राजाओं के देशों और देसी रियासतों में रहती है जो साम्राज्ञी की मित्रता-सूत्र से बद्ध है, और इसका सम्बन्ध साम्राज्ञीकी उस समस्त देसी प्रजासे भी होगा जो ब्रिटिश भारत और उन देशों और रियासतों के बाहर रहती है; और

(३) इसका प्रचार १ मई सन १८९० को होगा।

(२)
धारा २—(१) उस तारीख को और उस तारीख से, मंसूखी । कानून जिनका निरूपण पहिली सूची में हुआ, हैं उस सीमातक मंसूख हुए हैं जिसका वर्णन कि उसके तीसरे कालम में है।

(२)परन्तु उन कानूनों में से किसी के अनुसार या उस कानून के अनुसार जो उनमें से किसी के द्वारा मंसूख हुआ हो, तमाम नियम जो रचे गये हों, इकरार और नियुक्तियां जो की गई हों, मंजूरियां और हिदायतें जो दी गई हों, नमूने जो स्वीकार किये गये हों, अधिकार जो प्रदान किये गये हों, और विज्ञप्तियां जो प्रकाशित की गई हों, जहां तक कि वे इस एक्ट के अनुकूल हैं यह समझा जायगा कि वे इस कानून के अनुसार क्रमशः रचे गये,कीये गये, की गई, दी गई, स्वीकृत किये गये, प्रदान किये गये और प्रकाशित की गई।

---

(१) शब्द " अपरबरमा " बरमा लाज एक्ट १८९८ (१३ सन १८९८) के अनुसार मंसूख हुए।

(२) इस धाराका उतना भाग जितनेका संबन्ध कि अपर बरमा लाज एक्ट १८९६ (२० सन १८९६) के भाग की मंसूखी से है, बरमा लाज एक्ट १८९८ (१३ सन १८९८) के अनुसार मंसूख हुआ.

(३) किसी ऐसे एनाक्टमेन्ट या लेख पत्र से जिसमें उन कानूनों या किसी ऐसे कानून का हवाला हो जो उनमें से किसी के द्वारा मंसूख हुआ हो, सम्भवतया यह समझा जायगा कि उसमें इस एक्ट या उसके सम्बन्धी भाग का हवाला है।

धारा २—इस एक्ट में, जब तक कि उसके विषय या अभि-
परिभाषाएं। प्राय में कुछ वैपरीत्य न हो,

(१) "ट्रामवे" का अभिप्राय उस ट्रामवे से है जो भारतीय ट्रामवेज़ के कानून सन १८८६ या ट्रामवेज संबंधी विशेष कानून अनुसार बनाई गई हो।

(२) "पुल" में नावों का पुल, "पानटून्स" अर्थात् बंधे हुए तख्तों का पुल, "राफ्ट्स" अर्थात् बेड़ा, "स्यूइंग ब्रिज" अर्थात् झूलता हुआ पुल, "फ्लाइंग ब्रिज" अर्थात् जल्दी पार करने वाला पुल, और अस्थाई पुल, और पुल में पहुंचने के मार्ग और उस से उतरने के स्थान सम्मिलित हैं।

(३) "देश गत जल" का अभिप्राय ब्रिटिश भारत की किसी नहर, नदी, झील या जहाज़ चलाने योग्य जल से है।

(४) "रेलवे" से हर ऐसी रेलवे या रेलवे का भाग अभिप्रेत है, जो यात्रियों, पशुओं या माल के सामान्यतः ले जाने या लाने के लिये प्रयुक्त हो, और इसमें निम्नलिखित चीजें भी सम्मिलित हैं।

(क) समस्त भूमि जो ऐसे अहातों या अन्य सीमा-चिन्ह के भीतर हो जो रेलवे सम्बन्धी भूमि की सीमाएं प्रकट करते हों।

(ख) रेल की तमाम लाइनें, बगली रास्ते या शाखाएं, जो किसी रेलवे के अभिप्राय के लिये या उस के संबन्ध में काम में लाई जांय।

(ग) तमाम स्टेशन, दफ़तर, गोदाम, घाट, काम करने के स्थान कारखाने, स्थित पौदे और फल और अन्य मकानात, जो रेलवे के प्रयोजन के लिये या उसके संबन्ध में बनाये जांय,

(घ) तमाम पुल, जहाज़, नाव और बेड़े जो रेलवे के ट्राफिक के अभिप्रायके लिये देश गत जलों परप्रयुक्त होते और जो रेलवेप्रबन्धक अधिकारीकी संपत्ति हों या उसने किराये लिये हों या उसके काम में हों।

(५) "रेलवे-कम्पनी" में ऐसे मनुष्य सम्मिलित हैं जो, समिति में हों अथवा न हों, किसी रेलवे के अध्यक्ष या पट्टेदार हों या रेलवे चलाने के इकरार नामे के फरीक हों।

(६) "रेलवे प्रबन्धक" या "प्रबन्धक" से जब कि रेलवे का प्रबन्ध गवर्नमेन्ट या देसी रियासत की ओर से हो, रेलवे के मैनेजर से अभिप्राय है और उस में गवर्नमेंट या देसी रियासत भी सम्मिलित हैं, और, जब कि रेलवे का प्रबन्ध रेलवे कंपनी की ओर से हो, तो उसका अभिप्राय रेलवे कंपनी से है।

(७) "रेलवे का नौकर" का अर्थ हर ऐसे मनुष्य से है जो किसी रेलवे प्रबन्धक ने रेलवे की सेवा के सम्बन्ध में नौकर रक्खा हो,

(८) "इन्सपैक्टर" का अभिप्राय हर ऐसे रेलवे के इन्सपैक्टर से है जो इस एक्ट के अनुसार नियुक्त हुआ हो।

(९) "माल" में हर प्रकार की बेजान चीजें सम्मिलित हैं।

(१०) "पहिये वाली चीज़" में धुंए के एंजिन, कोयलेकी गाड़ियां गाड़ियां, माल की गाड़ियां और हर प्रकार की खुली गाड़ियां और ठेले गाड़ियां सम्मिलित हैं।

(११) "ट्राफिक" में हर प्रकार की पहिये वाली चीज, यात्री पशु और माल सम्मिलित है।

(१२) "थिक ट्राफिक" का अभिप्राय ऐसे ट्राफिक से है जो दो या अधिक रेलवे प्रबन्धकों की रेलवे पर ले जाया जाय।

(१३) "महसूल" में किसी यात्री पशु या माल के लाने, ले जाने का किराया, चार्ज या अन्य देन सम्मिलित है।

(१४) "आखरी मंजिल का महसूल" में स्टेशनों, बगली रास्तों वार्टों, डिपो, गोदामों, और माल उठाने की कलों और वैसीही अन्य चीजों के सम्बन्ध का तथा उन स्थानों में होने वाले कामों का चार्ज सम्मिलित है।

(१५) "पास" का अभिप्राय उस अधिकार पत्र से है जो किसी रेलवे प्रबन्धक की ओर से, या उस अफसर की ओर से दिया गया हो जिसको किसी रेलवे प्रबंधक ने नियत किया हो, और जिससे उस मनुष्य को जिसको कि वह दिया गया हो यह अधिकार प्राप्त होता हो कि वह रेलवे में यात्री रूप से बिना किराये दिये यात्रा कर सके।

(१६) "टिकट" में एक ओर का टिकट, वापिसी टिकट और मौसमी टिकट सम्मिलित हैं।

(१७) "मन" से अभिप्राय बत्तीस सौ तोले वजन से है और हर तोले में एक सौ अस्सी ग्रेन ट्रौय वजन होगा। और

(१८) "कलक्टर" का अभिप्राय उस मुख्यअधिकारी से है जिसकी सुपुर्दगी में जिले की मालगुजारी का प्रबन्ध हो, और उसमें ऐसा मनुष्य सम्मिलितहै जो स्थानीय गवर्नमेन्ट द्वारा इसएक्ट के अनुसार कलक्टरके कर्तव्योंके सम्पन्न करनेके निमित्त विशेषतः नियुक्त किया गया हो।

दूसरा परिच्छेद

रेलवियों का निरीक्षण

इन्सपेक्टरों की नियुक्ति और उन के कर्त्तव्य

धारा ४—(१) सकौन्सिल गवर्नमेन्ट जनरल को अधिकार होगा कि वह लोगों को उनके नाम से या उनके पद की हैसियत से रेलवियों के इन्सपेक्टर नियत करें।

(२) रेलवे-इन्सपैक्टर के कर्त्तव्य निम्न लिखित होंगे:—

(क) यह निश्चय करने के विचार से रेलवियों का निरीक्षण करना कि आया वह सामान्यतः यात्रियों के लाने या ले जाने के लिये ठीक है अथवा नहीं, और उस पर इस एक्ट की धारानुसार सकौन्सिल गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना।

(ख) किसी रेलवे या किसी पहिये वालीचीज का जो उसमें प्रयुक्त हो, ऐसा सामयिक या अन्य निरीक्षण करना जैसी कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल आज्ञा दें।

(ग) किसी रेलवे सम्बन्धी दुर्घटना के कारण इस एक्ट के अनुसार अन्वेषण करना।

(घ) अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस एक्ट या रेलवे संबंधी इस समय प्रचलित किसी अन्य एक्ट द्वारा उस पर लगाये गये हों।

(५) "रेलवे-कम्पनी" में ऐसे मनुष्य सम्मिलित हैं जो, समिति में हों अथवा न हों, किसी रेलवे के अध्यक्ष या पट्टेदार हों या रेलवे चलाने के इकरार नामे के फरीक हों।

(६) "रेलवे प्रबन्धक" या "प्रबन्धक" से जब कि रेलवे का प्रबन्ध गवर्नमेन्ट या देसी रियासत की ओर से हो, रेलवे के मैनेजर से अभिप्राय है और उस में गवर्नमेंट या देसी रियासत भी सम्मिलित है, और, जब कि रेलवे का प्रबन्ध रेलवे कंपनी की ओर से हो, तो उसका अभिप्राय रेलवे कंपनी से है।

(७) "रेलवे का नौकर" का अर्थ हर ऐसे मनुष्य से है जो किसी रेलवे प्रबन्धक ने रेलवे की सेवा के सम्बन्ध में नौकर रखा हो,

(८) "इन्सपैक्टर" का अभिप्राय हर ऐसे रेलवे के इन्सपैक्टर से है जो इस एक्ट के अनुसार नियुक्त हुआ हो।

(९) "माल" में हर प्रकार की बेजान चीजें सम्मिलित है।

(१०) "पहिये वाली चीज़" में धुंए के एंजिन, कोयलेकी गाड़ियां गाड़ियां, माल की गाड़ियां और हर प्रकार की खुली गाड़ियां और ठेले गाड़ियां सम्मिलित हैं ।

(११) "ट्राफिक" में हर प्रकार की पहिये वाली चीज, यात्री पशु और माल सम्मिलित है।

(१२) "थिक ट्राफिक" का अभिप्राय ऐसे ट्राफिक से है जो दो या अधिक रेलवे प्रबन्धकों की रेलवे पर ले जाया जाय।

(१३) "महसूल" में किसी यात्री पशु या माल के लाने, ले जाने का किराया, चार्ज या अन्य देन सम्मिलित है।

(१४) "आखरी मंजिल का महसूल" में स्टेशनों, बगली रास्तों घाटों, डिपो, गोदामों, और माल उठाने की कलों और वैसीही अन्य चीजों के सम्बन्ध का तथा उन स्थानों में होने वाले कामों का चार्ज सम्मिलित है।

(१५) "पास" का अभिप्राय उस अधिकार पत्र से है जो किसी रेलवे प्रबन्धक की ओर से, या उस अफसर की ओर से दिया गया हो जिसको किसी रेलवे प्रबंधक ने नियत किया हो, और जिससे उस मनुष्य को जिसको कि वह दिया गया हो यह अधिकार प्राप्त होता हो कि वह रेलवे में यात्री रूप से बिना किराये दिये यात्रा कर सकें।

(१६) "टिकट" में एक ओर का टिकट, वापिसी टिकट और मौसमी टिकट सम्मिलित है।

(१७) "मन" से अभिप्राय बत्तीस सौ तोले वजन से है और हर तोले में एक सौ अस्सी ग्रेन ट्रौय वजन होगा। और

(१८) "कलक्टर" का अभिप्राय उस मुख्यअधिकारी से है जिसकी सुपुर्दगी में जिले की मालगुजारी का प्रबन्ध हो, और उसमें ऐसा मनुष्य सम्मिलित है जो स्थानीय गवर्नमेन्ट द्वारा इसएक्ट के अनुसार कलक्टरके कर्तव्योंके सम्पन्न करनेके निमित्त विशेषतः नियुक्त किया गया हो।

दूसरा परिच्छेद

रेलवियों का निरीक्षण

धारा ४—(१) सकौन्सिल गवर्नमेन्ट जनरल को अधिकार होगा कि वह लोगों को उनके नाम से या उनके पद की हैसियत से रेलवियों के इन्सपेक्टर नियत करे।

इन्सपेक्टरों की नियुक्ति और उन के कर्त्तव्य

(२) रेलवे-इन्सपेक्टर के कर्त्तव्य निम्न लिखित होंगे:—

(क) यह निश्चय करने के विचार से रेलवियों का निरीक्षण करना कि आया वह सामान्यतः यात्रियों के लाने या ले जाने के लिये ठीक हैं अथवा नहीं, और उस पर इस एक्ट की आज्ञानुसार सकौन्सिल गवर्न जनरल को रिपोर्ट करना।

(ख) किसी रेलवे या किसी पहिये वालीचीज का जो उसमें प्रयुक्त हो, ऐसा सामयिक या अन्य निरीक्षण करना जैसी कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल आज्ञा दें।

(ग) किसी रेलवे सम्बन्धी दुर्घटना के कारण इस एक्ट के अनुसार अन्वेषण करना।

(घ) अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस एक्ट या रेलवे संबंधी इस समय प्रचलित किसी अन्य एक्ट द्वारा उस पर लगाये गये हों।

धारा ५—हर एक इंस्पैक्टर, उन कर्त्तव्यों में से किसी कर्त्तव्य के प्रयोजन के लिये, जिन के संपन्न करने की उसे आज्ञा दी गई हो, या जिन के सम्पन्न करने का अधिकार हो, भारतीय दंड संग्रह के अर्थों में सरकारी नौकर समझा जायगा और उस अभिप्राय के लिये सकौन्सिल गवर्नर जनरल की निगरानी के आधीन, निम्न लिखित अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात्:—

इन्सपैक्टर के अधिकार

(क) किसी रेलवे या किसी पहिये वाली चीज़ का जो उस में प्रयुक्त हो, प्रविष्ट हो निरीक्षण करना,

(ख) अपने दस्तखती लेख बद्ध आज्ञा द्वारा जो रेलवे-प्रबन्धक के नाम हो, किसी रेलवे के नौकर को अपने सामने उपस्थित होने की आज्ञा देना, और रेलवे के उक्त नौकर या रेलवे प्रबन्धक से ऐसे अन्वेषणों के सम्बन्ध में उत्तर या कैफ़ियत मांगना जो वह उचित समझे;

(ग) किसी ऐसी किताब या लेख पत्र के पेश करने की आज्ञा देना जो किसी रेलवे प्रबन्धक की सम्पत्ति हो या उस के कब्जे या निगरानी में हो (सिवाय उस पत्र व्यवहार के जो किसी रेलवे कम्पनी और उस के कानूनी सलाहकार के बीच में हो) जिस का निरीक्षण करना उसे आवश्यक प्रतीत हो।

धारा ६—उन कर्त्तव्यों के पालन के लिये जो इस एक्ट द्वारा उस पर लगाये जांय और उन अधिकारों के प्रयोग करने के लिये जो इस एक्ट द्वारा उस को प्रदान हों, रेलवे-प्रबन्धक इन्सपैक्टर को समस्त उचित सुगमताएं प्रदान करेगा।

इन्सपैक्टरों को दी जाने वाली सुगमताएं।

तीसरा परिच्छेद

इमारतों का बनाना और स्थित रखना

तमाम इमारतें बनाने के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धकों का अधिकार।

धारा ७—(१) इस एक्ट की आज्ञाओं के आधीन, और उस अचल सम्पत्ति की अवस्था में जो रेलवे प्रबन्धक की न हो, सार्वजनिक प्रयोजनों और कम्पनियों के निमित्त भूमि प्राप्ति सम्बन्धी, उस समय पर प्रचलित, कानून की आज्ञाओं के आधीन, और रेलवे कम्पनी की अवस्था में, उस संविद (मुआहिदा) की शर्तों के भी आधीन, जो उक्त कम्पनी और गवर्नमेन्ट के दरम्यान हो, किसी रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह किसी रेलवे या उस के आराम के सामान या उन के सम्बन्ध में अन्य इमारतें बनाने के अभिप्राय के लिये और उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून में चाहे जो कुछ क्यों न हो,—

[क] किसी भूमि, या किसी गली, पहाड़ी, घाटी, रास्ते, रेलवे, ट्रामवे, या किसी नदी, नहर, नाले, चश्मे, या अन्य पानियों, या अन्य मोरियों, पानी के नलों, गैस के नलों या तार की लाइनों में या उन पर या उन के आर पार या उन के नीचे या ऊपर, अस्थाई या स्थाई ढलवां सितह, महरावें, सुरंगें, पुल के नीचे के रास्ते, पुश्ते, पानी के रास्ते, पुल, सड़कें (रेलवे की लाइनें)* रास्ते मार्ग, नहरें, मोरियां, खम्भे, कटे हुए रास्ते, और हाते बनावे जैसा कि रेलवे प्रबन्धक उचित समझे;

(ख) नदियों, नालों, चश्मों या नालियों के मार्ग को, सुरङ्गों, पुलों रास्तों, या अन्य इमारतों के, उन के ऊपर या नीचे, बनाने के अभिप्राय के लिये, बदल दे, और अस्थाई या स्थाई रूप से, नदियों, नालों, चश्मों या नालियों, या सड़कों रास्तों या गलियों को भी फेर दे या बदल दे या उन की सितह को उठावे या नीचा करे, ताकि रेलवे के ऊपर,

---

* यह शब्द कानून रेलवे (१८९०) के संशोधक कानून सन १८९६ (९, सन ९६) की धारा १ के अनुसार बढ़ाये गये।

या नीचे या बगल से उन का लाना अधिक सरल हो, अर्थात् जैसा कि रेलवे प्रबन्धक उचित समझे।

(ग) रेलवे से या रेलवे तक पानी लाने के प्रयोजन के लिये रेलवे से मिली हुई किसी भूमि में या भूमि में होकर या भूमि के नीचे मोरियां या नहरें बनावे।

(घ) ऐसे मकानात, गोदाम, दफ्तर और अन्य भवन बनावे और ऐसे आंगन, स्टेशन, घाट, अन्जिन, मशीन, सामान यंत्र और अन्य चीज़ें और आराम के सामान बनावे जैसा कि रेलवे प्रबन्धक उचित समझे;

(ङ) उन भवनों, इमारतों और आराम के सामानों को जिन का ऊपर वर्णन हुआ, या उन में से किसी को बदले, मरम्मत करे या बन्द करे और उन के स्थान में दूसरी चीजें बनावे; और

(च) रेलवे के बनाने, स्थिर रखने, बदलने मरम्मत करने और प्रयोग करने के लिये अन्य समस्त आवश्यकीय कार्य करे।

(२) उन अधिकारों का प्रयोग, जो रेलवे प्रबन्धक पर उप धारा (१) द्वारा हुआ है, सकौन्सिल गवर्नर जनरल की निगरानी के आधीन होगा।

धारा ८—रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उन अधिकारों को प्रयोग में लाने के प्रयोजन के लिये, जो इस एक्ट द्वारा उस को प्रदान किये गये हैं; किसी नल के स्थान को, गैस, पानी या मिश्रित हवा के संग्रह के लिये, या किसी बिजली के तार के स्थान को या ऐसी मोरी के स्थान को जो असल मोरी न हो बदल दे:

नलों तारों और मोरियों को बदलना

परन्तु शर्त यह है:—

(क) जब रेलवे प्रबन्धक किसी ऐसे नल, तार या मोरी का स्थान बदलना चाहेगा तो उस के लिये आवश्यक होगा कि वह अपने ऐसा करने के इरादे तथा उस समय से जब कि वह ऐसा करना प्रारम्भ करेगा उस स्थानीय अधिकारी या कम्पनी को सूचना दे, जिस की निगरानी में नल, तार या मोरी हो, या जब कि नल, तार या मोरी स्थानीय अधिकारी या कम्पनी की निगरानी में न हो, तो उस मनुष्य को सूचना दे जिस की निगरानी में कि नल, तार या मोरी हो,

(ख) जिस स्थानीय अधिकारी, कम्पनी या मनुष्य को शर्त (क) के अनुसार नोटिस प्राप्त हो उसे अधिकार है कि वह उक्त कार्य की देख रेख के लिये किसी मनुष्य को भेज दे और रेलवे प्रबन्धक उस कार्य को इस प्रकार करेगा जिस से इस प्रकार भेजे हुए मनुष्य को सन्तोष हो जाय, और काम के जारी रहने की अवस्था में गैस, हवा, मिश्रित हवा, या बिजली के संग्रह करने या मोरी के स्थिर रखने का, जैसी दशा हो प्रबन्ध करेगा।

दुर्घटना की मरम्मत या रोककरने के लिये भूमि पर अस्थाई प्रवेश

धारा ९—(१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह किसी रेलवे प्रबन्धक को यह अधिकार प्रदान करे कि वह अपनी निगरानी में किसी कटे हुये रास्ते, पुश्ते या अन्य इमारत के टूटने या अन्य दुर्घटना होने या ऐसा होने की शंका होने की दशा में उक्त दुर्घटना की मरम्मत या रोक करने के लिये, अपनी रेलवे के निकट की भूमि पर प्रवेश करे और ऐसे सब कार्य करे जो उस अभिप्राय के लिये आवश्यक हों।

(२) आवश्यकता की दशा में, रेलवे प्रबन्धक उक्त भूमि पर प्रवेश कर पूर्वोक्त कार्य्यों को, सकौन्सिल गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कर सकता है, परन्तु ऐसी दशा में, यह आवश्यक होगा कि उक्त प्रवेश के पश्चात बहत्तर घंटों के भीतर सकौन्सिल गवर्नर जनरल को ऐसी रिपोर्ट जिस में दुर्घटना या शङ्कित दुर्घटनाका और उनकार्य्योंका प्रकार वर्णनकरे जिनका करना कि आवश्यक हो और इस उपधारा द्वारा रेलवे प्रबन्धक पर प्रदत्त अधिकार नष्ट और समाप्त हो जायगा, यदि सकौन्सिल गवर्नर जनरल रिपोर्ट पर विचार करने पश्चात यह समझें कि उक्त अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक शान्ति के लिये आवश्यक नहीं है।

धारा ७, ८ या ९ के अनुसार अधिकारों के उचित प्रयोग के कारण से होने वाली हानि का हरजा देना।

धारा १०—(१) पूर्वोक्त अन्तिम तीन धाराओं में से किसी धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में, रेलवे प्रबन्धक जहां तक सम्भव होगा कमहानि पहुंचावेगा और इन अधिकारों के प्रयोग से पतित हानि का हरजा अदा किया जायगा।

[२] उक्त हरजे के रुपये के हिस्सा पाने की नालिश न होगी परन्तु झगड़े की दशा में, कलक्टर को प्रार्थना पत्र देने पर, हरजे की रकम सम्भवतयः*(धाराएं ११ से १५(दोनों सम्मिलित) धाराएं १८ से ३४ तक, [दोनों सम्मिलित]धाराएं ५३ और ५४ कानून भूमि प्राप्ति सन १८९४ की आज्ञाओं के अनुसार निश्चित और अदा की जायगी, और उक्त कानून की धाराएं ५१ और ५२ की आज्ञाएं हरजा दिलाने से सम्बन्ध रखेंगी ।)

धारा ११—— (१) रेलवे प्रबन्धक को आवश्यक होगा कि
आराम की चीजें | रेलवे की आसन्न भूमिके अध्यक्षों और अधिकारियों के आराम के लिये निम्न चीजों को बनावे और स्थिर रखे, अर्थात:—

(क) रेलवे के ऊपर, नीचे या बगल में, या रेलवे से लेजाने वाले या रेलवे तक पहुंचाने वाले ऐसे और उतने सुभीते के चौराहे, पुल, महराबे, पुल के भीतर के मार्ग और रस्ते, जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल की सम्मत्ति में उन हस्तक्षेपों की पूर्त्ति के लिये आवश्यक हों जो उस भूमिके प्रयोग में जिसमें,होकर कि रेलवे बनाई जाय, रेलवे के कारण पड़ें, और

(ख) रेलवे के ऊपर, नीचे या बगल से, ऐसी लम्बाई चौड़ाई के तमाम आवश्यकीय पुल, सुरंगें, पुल के नीचे के मार्ग, नाले, जल मार्ग, या अन्य रास्ते, जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल की सम्मत्ति में, रेलवे से निकट की या रेलवे से प्रभावित, भूमि से या भूमि तक, हर समय स्वतन्त्रता से पानी लाने के लिये पर्याप्त हो जैसी कि रेलवे बनाने से पूर्व हो या जहां तक हो सके उसके करीब २ हो ।

(२) इस एक्ट की अन्य आज्ञाओं के आधीन, उप धारा (१) के खण्ड (क) और (ख) में निरूपित इमारतें, उस भूमि पर जिस पर होकर कि रेलवे जाय, रेलवे के डालने या तैयार करने के बीच में

---

* यह शब्द और संख्याएं,असली शब्द और संख्याओंके स्थान में रेलवे एक्ट सन १८९० के संशोधक एक्ट सन १८९६ (९ सन १८९६) की धारा २ के अनुसार रखे गये ।

या पश्चात ही तुरत बनाई जायगी और इस विधि से बनाई जायगी कि उन मनुष्यों को जो भूमि में अधिकार रखते हों या जो इमारतों से प्रभावित होते हों सम्भवतयः कम से कम हानि या कष्ट पहुंचे।

(३) इस धारा की पूर्वोक्त आज्ञाएं निम्न लिखित शरतों के आधीन हैं, अर्थात:—

(क) किसी रेलवे प्रबन्धक पर आवश्यक न होगा कि वह इस तरीके से आराम की इमारतें बनाये जिसमें रेलवे के बनाने या प्रयोग करने में रुकावट या अड़चन डाले, या ऐसी आराम की इमारतें बनावें जिसके सम्बन्ध में भूमि के अध्यक्ष और अधिकारी, उनके इमारत बनाने के लिये विवश न होने के बदले में क्षति धन लेने पर राजी हों और उन्हों ने उक्त क्षति—धन प्राप्त कर लिया हो;

(ख) सिवाय इसके कि इस परिच्छेद में तत्पश्चात आज्ञा हो, सकौन्सिल गवर्नर जनरल की आज्ञा को छोड़ कर, कोई रेलवे प्रबन्धक उस तारीख से दस वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब कि रेलवे भूमि पर होकर सर्व साधारण के लाने लेजाने के लिये खुले, उक्त भूमि के अध्यक्षो या अधिकारियों के प्रयोग के लिये किसी विशेष या अतिरिक्त आराम की इमारत बनाने का व्यय सहन करने के लिये विवश न किया जायगा,

(ग) जहां कि रेलवे प्रबन्धकने सड़क या चशमेके पार करनेका उचित सामान बना दिया हो, और तत्पश्चात उक्त सड़क या चशमेका रुख, उस मनुष्य के किसी कार्य या असावधानता के कारण फिर गया हो जिसकी निगरानी में कि उक्त सड़क या चशमा हो, तो रेलवे प्रबन्धक उक्त सड़क या चशमों को पार करने के निमित्त अन्य आराम का सामान बनाने के लिये विवश न किया जायगा।

(४) सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि उप धारा [१] के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के लिये समय नियत करदें, और यदि उक्त समय के पश्चात चौदह दिन तक रेलवे प्रबन्धक कार्य प्रारम्भ न करे या, प्रारम्भ करके पर्य्याप्त रीति से उसको समाप्त सम्पन्न न करे, तो सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा

कि वह उसको सम्पन्न करायें और उसकी तैयारी में जो व्यय हो उसको रेलवे प्रबन्धक से वसूल करें।

अध्यक्ष, अधिकारी या स्थानीय हाकिम को अधिकार है कि वह अतिरिक्त आराम की इमारतें बनवा सकता है।

धारा १२—यदि किसी ऐसी भूमि का अध्यक्ष या अधिकारी जो रेलवे से प्रभावित हो पिछली अन्तिम धारा के अनुसार बनी हुई इमारतों को भूमि के सुखद प्रयोग के लिये अपर्याप्त समझे, या यदि स्थानीय गवर्नमेन्ट या स्थानीय हाकिम रेलवे के आर पार नीचे या ऊपर कोई सरकारी सड़क या अन्य तामीर बनाना चाहे, तो उस मनुष्य या गवर्नमेन्ट हाकिम को, जैसी दशा हो, अधिकार होगा कि वह किसी समय रेलवे प्रबन्धक को आज्ञा दे सकते हैं कि उस मनुष्य, गवर्नमेन्ट या हाकिम के व्यय से वह आराम का विशेष सामान तैयार कराये जिसे वह मनुष्य, गवर्नमेन्ट या हाकिम आवश्यकीय समझे और जिस के बनाने पर रेलवे प्रबन्धक सम्मत रहा हो, या मत भेद होने की अवस्था में जिस के सम्बन्ध में कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल अनुमति दे।

अहाते, परदे, फाटक और कटहरे।

धारा १३—सकौन्सिल गवर्नर जनरल को यह आज्ञा देने का अधिकार होगा कि आज्ञा में निरूपित समय के भीतर या उस समय विशेष के भीतर जो वह इस सम्बन्ध में नियत करें,—

(क) कि किसी रेलवे या उस के भाग के लिये, और उन सड़कों के लिये जो उस के सम्बन्ध में बनाई जांय, रेलवे प्रबन्धक की ओर से सीमा—चिन्ह या बाढ़े बनाये जांय या उन का पुनर्निर्माण कराया जाय।

(ख) परदे की प्रकार के कोई काम जो किसी ऐसी सरकारी सड़क के किनारे के पास या किनारे से मिला कर जो रेलवे बनने से पहिले बनी हो, रेलवे प्रबन्धक की ओर से सड़क के यात्रियों को ऐसे भय से बचाने के लिये, तैयार कराये जांय या उन का पुनर्निर्माण कराया जाय, जो रेलवे पर चलती हुई पहिये वाली चीज़ के देखने या शोर से घोड़ों या अन्य पशुओं के भड़कने के कारण उत्पन्न हो।

(ग) कि रेलवे प्रबन्धक की ओर से उन स्थानों पर जहां पर कि रेलवे किसी सरकारी सड़क की धरातल के पार हो कर निकले, उचित फाटक, जंजीरे, कठहरे, सीढ़ियां या हथ-रेल बनाये जांय या उन का पुनर्निर्माण कराया जाय।

(घ) कि रेलवे-प्रबन्धक की ओर से उक्त फाटकों, जंजीरों और कठहरों के खोलने और बन्द करने के लिये मनुष्य नियत किये जांय।

धारा १४—[१] जहां कि रेलवे प्रबन्धक ने किसी सरकारी

पुलों के ऊपर और नीचे | सड़क की धरातल के आर पार रेलवे बनाई हो, सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि यदि उन्हें सार्वजनिक सलामती के लिये आवश्यकीय प्रतीत हो, रेलवे प्रबन्धक को यह आज्ञा दे सकते हैं कि उतने समय के भीतर जितना कि वह उचित समझें, उस सड़क को रेलवे की आर पार न लेजा कर किसी पुल या मद्दराह के द्वारा किसी रेलवे के नीचे या ऊपर निकालें जिस में आसान चढ़ाव और उतार और अन्य आगम के रास्ते हों, या ऐसी तामीरात बनाने की आज्ञा दे सकते हैं जो उस अवस्था में सकौन्सिल गवर्नर जनरल को लेविल क्रासिंग से उत्पन्न भय के दूर या कम करने के लिये सर्वोत्तम प्रतीत हों।

[२] सकौन्सिल गवर्नर जनरल उप धारा [१] के अनुसार आज्ञा देने के लिये शर्त रूप से यह आज्ञा दे सकते हैं कि वह स्थानीय अधिकारी, यदि कोई हो, जो सड़क को बरकरार रखे, रेलवे प्रबन्धक को आज्ञा पालन सम्बन्धी कुल खर्चे या उस के ऐसे अंश के अदा करने का जुम्मेदार होगा जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल उचित समझें।

धारा १५—[१] निम्न लिखित किसी अवस्था में, अर्थात्:—

उन वृक्षों का हटाया जाना जिन से रेलवे के चलाने में भय हो या बाधा हो।

[क] जहां कि यह भय हो कि रेलवे के निकट खड़ा हुआ वृक्ष रेलवे पर इस तरह गिर सकता कि ट्राफ़िक बन्द हो जाय,

[ख] जब कि कोई वृक्ष किसी नियत सिगनल के देखने में बाधक हो,

तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति से वृक्ष को गिरवादें या कोई ऐसी कार्यवाही करें जिस से रेलवे प्रबन्धक की सम्मति में उक्त भय या बाधा, जैसी कि दशा हो, दूर हो जाय।

[२] अत्यन्तावश्यकता की दशा में, उप धारा [१] में वर्णित अधिकार रेलवे प्रबन्धक द्वारा मिजस्ट्रेट की अनुमति बिना प्रयुक्त किया जा सकता है।

[३] जब कि वह वृक्ष जो उप धारा [१] या [२] के अनुसार गिराया गया हो या उस के संबंध में अन्य कार्यवाही की गई हो, रेलवे के बनने या सिगनल लगने से पहिले मौजूद हो, तो प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह उन लोगों के आवेदन पत्र पर जो उस वृक्ष में स्वत्वाधिकारी हों, उन को ऐसा बदलधन दिलादे जो वह उचित समझे।

[४] उक्त बदल—धन के दिलाये जाने की आज्ञा, जब कि वह प्रेसीडेन्सी नगर में चीफ़ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट को छोड कर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई हो, या अन्य स्थान पर डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ कर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई हो, चीफ प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट,की निगरानी के आधीन, जैसी कि दशा हो, अपरिवर्त्तनीय होगी।

[५] किसी ऐसे वृक्ष के बदल—धन पाने की नालिश अदालत दीवानी में दायर न हो सकेगी जो इस धारा के अनुसार गिराया गया हो या उस के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही की गई हो।

चौथा परिच्छेद

रेलवियों का खोलना

धारा १६—[१] प्रत्येक रेलवे—प्रबन्धक को सकौन्सिल गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृतिसे यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी रेलवे पर, धुएं से चलने वाले एन्जिन या और चालक शक्ति प्रयोग

धुएं की कलों के प्रयोग करने का स्वत्व।

[२] परन्तु कोई पहिये वाली चीज़ किसी रेलवे पर धुएं या अन्य चालक शक्ति द्वारा न चलाई जायगी तावके कि रेलवे के वह सामान्य नियम जो आवश्यकीय समझे जांय इस पष्ट के अनुसार बन न गये हों, और स्वीकृत और प्रकाशित न हो गये हों।

धारा १७—[१] उपधारा [२] की आज्ञाओं के आधीन यात्रियों के साधारणतः लाने या ले जाने के लिये किसी रेलवे के खोलने का विचार करनेसे कम से कम एक मास पूर्व, रेलवे प्रवन्धक अपने विचार की लेख-बध सूचना सकौन्सिल गवर्नर जनरल को देगा।

जिस रेलवे के खोलने का विचार हो उस की सूचना।

[२] सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह किसी दशा में, यदि वह उचित समझे, उपधारा [१] में वर्णित सूचना की मीयाद घटादें या उक्त सूचना के दिये जाने की आवश्यकता न समझें।

धारा १८— यात्रियों के सामान्यतः लाने या लेजाने के लिये, कोई रेलवे उस समय तक न खोली जायगी जब तक कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने या उस इन्सपेक्टर ने, जिस को सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो, उक्त अभिप्राय के लिये उस के खोले जाने की स्वीकृति की आज्ञा न देदी हो।

रेलवे के खोलनेसे पहिले गवर्नमेन्ट की अनुमति शर्त है।

धारा १९—(१) पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार सकौन्सिल गवरनर जनरल की स्वीकृति उस समय तक न दी जायगी जब तक कि इन्सपेक्टर, रेलवे के निरीक्षण पश्चात, सकौन्सिल गवर्नर जनरल को निम्न बातों की लेख बद्ध सूचना न दे दे:—

रेलवे खोलने की अनुमति देने की कार्य-प्रणाली।

[क] यह कि उस ने रेलवे और पहियेदार चीज़ो का विचार पूर्वक निरीक्षण किया है।

[ख] यह कि चल और स्थिर चीज़ों की उस लम्बाई चौड़ाई में जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा नियत कीगई हों, प्रतिकूलता नहीं की गई है।

[ग] यह कि रेलों का गेज़न, पुलों की ताकत, कामों की सामान्य निर्माण अवस्था और किसी पहिये वाली चीज़ की धुरी की लम्बाई चौड़ाई और उस धुरी पर अधिक से अधिक कुल बोझ वही हैं जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने निर्धारित किये हैं।

[घ] यह कि उक्त रेलवे के लिये पहिये दार चीज़ें पर्य्याप्ततः मौजूद हैं।

(ङ) यह कि रेलवे के चलाने के सम्बन्ध के सामान्य नियम, जब कि वह यात्रियों के सामान्यतः लाने लेजाने के लिये खोली जाय, इस ऐक्ट के अनुसार बन गये, स्वीकृत तथा प्रकाशित हो गये हैं। और

[च] यह कि उसकी सम्मति में यात्रियों के सामान्यतः लाने लेजाने के लिये रेलवे खोली जा सकती है और उस के प्रयोग से सर्व साधारण को भय नहीं है।

(२) यदि उक्त इन्सपैक्टर की सम्मति में रेलवे इस कारण से नहीं खोली जा सकती कि उस के प्रयोग से सर्व साधारण को शंका होगी, तो वह उस सम्मति को कारणों सहित, बयान करेगा और तब सकौन्सिल गवरनर जनरल रेलवे प्रबन्धक को आज्ञा दे सकते हैं कि वह उक्त रेलवे का खोलना स्थगित रखे।

[३] पूर्वोक्त अन्तिम उपधारा के अनुसार आज्ञा में उन बातों का वर्णन होना चाहिये जिनका पालन होना रेलवे का खुलना मंज़ूर होने से पहिले शर्त्त की भांति आवश्यक है, और उस में यह आदेश रहेगा कि रेलवे का खुलना उस समय तक स्थगित रहे जब तक कि उक्त शर्तों का पालन न हो जाये या सकौन्सिल गवर्नर को अन्य प्रकार से यह सन्तोष न हो जाय कि उक्त रेलवे खोली जा सकती हैं और उस के प्रयोग से सर्व साधारण को कोई शंका नहीं है।

[४] मंज़ूरी जो इस धारा के अनुसार दी जाय, या तो स्वाधीन या उन शर्तों के आधीन हो सकती है जो सकौन्सिल गवर्नरजनरल सर्व साधारण की रक्षा के लिये आवश्यकीय विचार करे।

(५) जब किसी रेलवे के खोले जाने की मंज़ूरी शर्तों के आधीन दी जाय और रेलवे प्रबन्धक उन शर्तों के पूरा करने में अकृतकार्य रहे, तो उक्त मंज़ूरी अप्रभावक समझी जायगी और रेलवे उस समय

तक न चलाई या प्रयुक्त की जायगी जब तक कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल के सन्तोषानुसार शर्तें पूरी न हो जांय।

रेलवे के वास्तविक परिवर्त्तन से ऊपर की अन्तिम तीन धाराओं का सम्बन्ध

धारा २०—[१] रेलवे के खोले जाने के सम्बन्ध की धारा १७, १८ तथा १९ की आज्ञाएं, उपधारा २, में वर्णित कामों से सम्बन्ध रखेंगी जबकि उक्त काम उस रेलवे का भाग हों या उससे सीधा सम्बन्ध रखते हों, जो यात्रियों के साधारणतः लाने लेजाने के लिये प्रयोग की जाय, और जो रेलवे के पहिले ही पहले खुलनेसे पूर्व के निरीक्षण पश्चात बनाये गये हों,

[२] काम जिसका निरूपण उपधारा [१] में हुआ है रेलवे की अतिरिक्त लाइनें, [illegible] लाइनें, स्टेशन, जंक्शन और सतह के चौराहे, और उस परिवर्त्तन या पुनर्निर्माण से अभिप्राय रखते हैं जिससे किसी ऐसे काम की बनावट की अवस्था पर वास्तविक प्रभाव पड़ता हो जिनसे धार १७ १८ तथा १९ की आज्ञा सम्बन्ध रखती हों या इस धारा द्वारा सम्बन्धित की गई हों।

छूट की आज्ञा।

धारा २१—जब कि कोई ऐसी दुर्घटना घट गई हो जिससे कारण ट्राफिक अस्थाई रूप से रुक गया हो, और चाहे असली लाइन और काम उन असली स्थिति पर शीघ्रता से ला दिये गये हों, या आवागमन स्थिर रखने के लिये एक अस्थाई पृथक् लाइन डाल दी गई हो, तो वह असली लाइन और काम जो उक्त प्रकार तैयार किये गये या अस्थाई लाइन, जैसी दशा हो इन्स्पैक्टर की अनुपस्थिति में, निम्न शर्तों के आधीन, यात्रियों के सामान्यतः लाने ले जाने के लिये खोली जा सकती है, अर्थात्:—

[क] यह कि रेलवे के उस नौकर ने जिसके सुपुर्द वह काम हो जो दुर्घटना के कारण बनाये जाते हों यह तसदीक लेख बद्ध करदी हो कि असली हालत में लाई हुई लाइन और कामों के खोले जाने या अस्थाई लाइन के खोले जाने से उसकी सम्मति में उस लाइन और काम या अस्थाई लाइन के प्रयोग करने वाली जनता को कोई डर नहीं है, और

[ख] यह कि लाइन और काम अस्थाई लाइन के खोले जाने की तार द्वारा सूचना जहां तक सम्भव हो शीघ्र ही उस इन्स्पेक्टर को भेजी जायगी जो रेलवे के लिये नियत हो।

धारा २२—सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह ऐसे नियम बनावें जिनमें उन अवस्थाओं का निरूपण हो जिन में और उन्हीं अवस्थाओं में सीमा का निरूपण हो जिस सीमा तक कि धारा १७ से २० तक [दोनों सम्मिलित] में निर्द्धारित कार्यवाही त्यागी जा सके।

रेलवियों के खोलने के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार।

धारा २३—[१] जब किसी ऐसी खुली हुई रेलवे के निरीक्षण पश्चात जो यात्रियों के सामान्यतः लाने ले जाने में प्रयुक्त होती हो, या ऐसी पहिये वाली चीज़ के निरीक्षण पश्चात जो उक्त रेलवे पर प्रयोग की जाती हो, यदि इन्सपेक्टर की यह सम्मत्ति हो कि उक्त रेलवे या किसी विशेष पहिये वाली चीज के प्रयोग से उस को प्रयोग करने वाली जनता को डर रहेगा तो वह उस सम्मति को उसके कारणों सहित सकौन्सिल गवर्नर जनरल को लिख भेजेगा और तब सकौन्सिल गवर्नर जनरल को यह आज्ञा देने का अधिकार है कि उक्त रेलवे को यात्रियों के सामान्यतः लाने ले जाने के लिये बंद कर दें, या उक्त विशेष पहिये वाली चीज का प्रयोग बंद कर दिया जाय या उक्त रेलवे या उक्त विशेष पहिये वाली चीज ऐसी शर्तों पर यात्रियों के सामान्यतः लाने ले जाने के लिये प्रयुक्त की जाय जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल जनता की रक्षा के लिये आवश्यकीय समझें।

खुली हुई रेलवे के बन्द करने का अधिकार

[२] उपधारा [१] के अनुसार आज्ञा में उन कारणों का वर्णन होगा जिनके आधार पर वह आज्ञा दी गई हो।

धारा २४—[१] जब कोई रेलवे पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार बंद हो गई हो, तो वह यात्रियों के सामान्यतः लाने ले जाने के लिये उस समय तक फिर नहीं खोले जा सकती जब तक कि इस एक्ट की आज्ञाओं के अनुसार उसका निरीक्षण न हो और उस का पुनः खोला जाना मंजूर न हो गया हो।

बंद की हुई रेलवे का फिर खोलना

[२] जब कि पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने यह आज्ञा दे दी हो कि अमुक पहिये वाली चीज का प्रयोग बन्द कर दिया जाय, तो उक्त पहिये वाली चीज इस

समय तक काम में न लाई जावगी जब कि इन्स्पैक्टर ने उसके प्रयोग के योग्य होने की रिपोर्ट न की हो और सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने उसका प्रयोग मंजूर न कर लिया हो।

[२] जब कि पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने किसी रेलवे या पहिये वाली चीज़ के सम्बन्ध में कोई शर्त्त लगा दी हों तो उन शर्त्तों का उस समय तक दृष्टि में रखना आवश्यक होगा जब तक कि वह सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा हटा न ली जांय।

धारा २५—[१] सकौन्सिल गवर्नर जनरल सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा यह अधिकार दे सकते हैं कि इस परिच्छेद के अनुसार

इस परिच्छेद के अधिकारों का इन्सपैक्टरों को दिया जाना

उन का कोई कर्त्तव्य जिलो इन्सपैक्टर द्वारा सम्पन्न किया जाय, और ऐसे इन्सपैक्टर द्वारा दी हुई मन्जूरी या आज्ञा को रद्द कर सकते हैं जो उक्त कर्त्तव्य को सम्पन्न करता हो या उस में किसी ऐसी शर्त्त की वृद्धि कर सकते हैं जिसे सकौन्सिल गवर्नर जनरल लगा सकते यदि वह मंजूरी या आज्ञा स्वयं उन्हीं के द्वार दी गई होती।

[२] उप धारा [१] के अनुसार लगाई हुई शर्त्त इस एक्ट के समस्त प्रयोजनों के लिये वही प्रभाव रखेगी मानो वह सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा दी हुई मन्जूरी या आज्ञा में बढ़ा दी गई हो।

पांचवां परिच्छेद

रेलवे कमीशन और ट्राफिक की सुगमताऐं

धारा २६—[१] इस परिच्छेद के प्रयोजनों के लिये सकौन्सिल गवर्नर जनरल जब कि उन की सम्मत्ति में अवसर

रेलवे कमीशन का संगठन

की आवश्यकता हो, कमीशन नियत करेंगे जिसका नाम रेलवे कमीशन होगा [और जो इस एक्ट में कमिश्नर्स के नाम से वर्णन किये गये हैं] और जिस में एक कानूनी कमिश्नर और दो गैर कानूनी कमिश्नर होंगे।

हो तो, हाईकोर्ट आफ़ जुडीकेचर, फोर्ट विलियम बंगाल में दाइर होगी, और

[ख] दूसरी अवस्था में, उस हाईकोर्ट में दाइर होगी जिस का कि क़ानूनी कमिश्नर मेम्बर हो।

[३] उक्त अपील उस आज्ञा की तारीख से छै मास के भीतर दाइर की जायगी जिस का कि वह अपील हो, और उस की सुनवाई उतने जजों की बेन्च द्वारा होगी जितने कि हाईकोर्ट नियम द्वारा निर्द्धारित करें, परन्तु वह तीन से कम न होंगे।

[४] अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट को, इस परिच्छेद की अन्य आज्ञाओं के आधीन, वह समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो उस को अदालत अपील की हैसियत से जाब्ता दीवानी के अनुसार प्राप्त हों, और उस को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी आज्ञा दे जो कमिश्नर दे सकते।

धारा ३२—कमिश्नरों की आज्ञा के विरुद्ध चाहे हाईकोर्ट में अपील ही क्यों न हुआ हो, उक्त आज्ञा, जब तक कि कमिश्नर्स या उन में से अधिक कमिश्नर्स उस का स्थगित करना उचित न समझें, उस समय तक बराबर कार्य—परिणित होता रहेगा जब तक कि वह उक्त हाईकोर्ट द्वारा रद न हो जाय या बदल नदी जाय।

रेलवे कमीशन की आज्ञाओं का पालन।

धारा ३३—[१] इस परिच्छेद के अनुसार विचार–अधिकार के प्रयोग करने में कमिश्नरों को अधिकार होगा कि वह समय २ पर, सकौन्सिल गवर्नर जनरल की सामान्य या विशेष स्वीकृति प्राप्त कर के, एक या अधिक ऐसे मनुष्यों को असैसरों की भांति काम करने के लिये नियत करें जो इन्जीनियरी या अन्य विशेष विद्या में पार दर्शता रखते हों।

असेसर

[२] उक्त मनुष्यों को ऐसा सेवा–धन दिया जायगा जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल, कमिश्नरों की सिफ़ारिश पर, आज्ञा करें।

धारा ३४—— सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह उस कार्य प्रणाली के सम्बन्धमें जो कमिश्नरोंके सामने हो, और इस परिच्छेद की आज्ञाओं को प्रभावित करने के लिये कमिश्नरों को अधिकार सम्पन्न

इस परिच्छेद के अभिप्राय के लिये सकौन्सिल गवर्नर जनरल का नियम बनाने का अधिकार।

करने के सम्बन्ध में, और उन फीसों के सम्बन्ध में नियम बनावें जो कमिश्नरों के समक्ष कार्यवाहियों के सम्बन्ध में ली जाय।

धारा ३५—किसीऐसी कार्यवाहीका असली और आकस्मिक व्यय जो इसपरिच्छेद के अनुसार कमिश्नरों या हाईकोर्ट के सामने हो, कमिश्नरों वा हाईकोर्ट की, जैसी दशा हो, मरज़ी पर होगा, और कमिश्नरों द्वारा दिलाया हुआ व्यय उस अदालत द्वारा जिस का कि कानूनी कमिश्नर जज हो इस प्रकार अदा किया जा सकेगा जैसा कि हाईकोर्ट की डिगरी द्वारा आज्ञा होने की दशा में अदा किया जा सकता।

इस परिच्छेदकी कार्य वाहियों का व्यय।

धारा ३६—[१]उस अदालत को, जिसके कि कानूनी कमिश्नर जज हो,यदि उस मनुष्यके प्रार्थना पत्र पर, जो कमिश्नरों के सामने होने वाली कार्यवाही का या हाईकोर्ट की अपील का पेक फ़रीक हो या उक्त मनुष्य का प्रतिनिधि हो,यह बात मालूम हो कि उस ताकीदी आज्ञा,जो इस परिच्छेदके अनुसार कमिश्नरों या हाईकोर्ट ने प्रदान की थी, उस मनुष्य द्वारा पालन नहीं किया गया जिस पर कि आज्ञा हुई थी, तो उक्त अदालत को यह अधिकार होगा कि उस फ़रीक को यह आज्ञा करे कि वह एक ऐसी रकम प्रतिदिन जो एक हजार रुपये से अधिक न हो उक्त आज्ञा देने की तारीख के पश्चात जब तक ताकीदी आज्ञा का उलंघन किया जाय, अदा करे।

रेलवे कमिशन और हाईकोर्ट की आज्ञा का पालन।

[२] उक्त रकम उस अदालत द्वारा वसूल कराई जा सकती है जिस ने कि उक्त आज्ञा दीहो मानो कि उक्त अदालत ने वह डिगरी दी हो, और उक्त अदालत यह आज्ञा दे सकती है किउक्त कुल रकम या उसका कोई अंश, उस मनुष्य को जिसने उपधारा [१] के अनुसार प्रार्थना पत्र दिया हो या गवर्नमेन्ट को अदा की जायगी।

धारा ३७—जिस दस्तावेज से यह प्रकट होता हो कि उस पर कमिश्नरों या उनमें से किसी के हस्ताक्षर हैं वह हस्ताक्षर के प्रमाण बिना ही गवाही में ले लिया जायगा, और जब तक कि प्रतिकूल प्रमाणित न किया जाय, वह समझा

दस्तावेजों का प्रमाण।

जायगा कि उक्त दस्तावेज पर उक्त प्रकार हस्ताक्षर हुए और वह कमिश्नरों द्वारा विधिवत सम्पन्न या जारी किया गया।

धारा ३८—कमिश्नरों को आवश्यक होगा कि वह, सम्भवतयः शीघ्र, प्रत्येक ऐसे मुकद्दमे के समाप्त करने पश्चात. जो उन के सुपुर्द हुआ हो, सकौन्सिल गवर्नर जनरल की सेवा में मुकद्दमे की विशेष रिपोर्ट भेजें, और सकौन्सिल गवर्नर जनरल उक्त रिपोर्ट को उन लोगों की सूचना के लिये, जो उस मुकद्दमे के विवाद युक्त विषय से सम्बन्ध रखते हों, उस प्रकार से प्रकाशित करायेंगे जैसा कि वह उचित समझें।

रेलवे कमीशन द्वारा सकौन्सिल गवर्नरजनरल को विशेष रिपोर्टों का भेजा जाना

धारा ३९—सिवाय इसके कि पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अभिप्राय के लिये हो, कमिश्नरों के उन इजलासों के अन्तिम इजलास की समाप्ति पर, जो उनको सुपुर्द हुए मुकद्दमों के निर्णय करने के लिये हों, यह समझा जायगा कि रेलवे कमीशन टूट गया।

रेलवे कमीशन का टूटना

परन्तु शर्त्त यह है कि किसी ऐसे मनुष्यकी प्रार्थना पर, जो उस कार्यवाही का कोई फरीक हो जो कमिश्नरों के सामने हो या उक्त मनुष्य के प्रतिनिधि की प्रार्थना पर, सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि यदि वह उचित समझे, उस मुकद्दमे में जिसमें कि कमिश्नरों द्वारा दीहुई आज्ञा की अपील न होसकतीहो, अपने निर्णय के पुर्नविचार की प्रार्थना सुनने के अभिप्राय के लिये, उसे स्वीकार करने, और यदि वे यह समझेंकि मुकद्दमा फिरसे सुना जाना चाहिये तो उस मुकद्दमे को फिर सुनने के लिये, कमिश्नरों को पुनः नियुक्त करें।

धारा ४०—इस परिच्छेद की पिछली आज्ञाओं के आधीन और सकौन्सिल हर मजेस्टी साम्राज्ञी की किसी आज्ञा के आधीन, कमिश्नरों की आज्ञा कतई होगी और न तो उस पर किसी अदालत की ओर से आपत्ति होगी और न वह रद्द की जासकेगी।

इस परिच्छेद की पिछली आज्ञाओं के आधीन, रेलवे कमीशन की आज्ञाओंकी अपरिवर्त्तनीयिता

कुछ ऐसे मामले जो रेलवे कमीशन द्वारा विचार योग्य हों साधारण अदालतों के विचार अधिकार से बाहर हैं।

धारा ४१—सिवाय इसके जो इस एक्ट में आज्ञा हो, किसी ऐसे कार्य या कार्य-त्याग के सम्बन्ध में कोई नालिश या कार्यवाही न की जा सकेगी, जो रेलवे प्रबंधक ने, इस परिच्छेद की किसी आज्ञा की प्रतिकूलता या विरोध में या उस आज्ञा की प्रतिकूलता या विरोध में, किया हो, जो कमिश्नरों या हाईकोर्ट ने इस एक्ट के अनुसार प्रदान की हो।

ट्राफ़िक की सुगमताएं

रेलवे प्रबंधकों का कर्त्तव्य है कि वह बिना अनुचित विलम्ब और बिना तरफ़दारी के ट्राफिक के लेने और भेजने का प्रबंध करें।

धारा ४२—(१) प्रत्येक रेलवे प्रबंधक उन रेलवियों पर या उन रेलवियों से जिनका वह मालिक हो या जिन को वह चलाता हो, ट्राफिक लेने, भेजने और देने के लिये तथा पहिये वाली चीज़ों की वापिसी के लिये, अपने अधिकारों के अनुकूल समस्त उचित सुगमताएं प्रदान करेगा।

(२) कोई रेलवे प्रबंधक किसी विशेष मनुष्य या रेलवे प्रबंधक को, या उसके हक़ में, या किसी विशेष प्रकार के ट्राफिक के संबंध में, किसी प्रकार की क्यों न हो कोई अयोग्य या अनुचित विशेषता न देगा या लाभ न पहुंचायेगा, या किसी विशेष मनुष्य या रेलवे प्रबंधक को या विशेष प्रकार के ट्राफिक को, किसी प्रकार की क्यों न हो कोई अयोग्य या अनुचित हानि या क्षति न पहुंचायेगा।

(३) ऐसे रेलवे प्रबन्धक को जो किसी ऐसी रेलवे को रखता या चलाता हो जो किसी रेलवे के लगातार आवागमन की लाइन का भाग हो, या जिसका आख़िर मन्ज़िल या स्टेशन दूसरे रेलवे प्रबन्धक के आख़िर मन्ज़िल या स्टेशन से एक मील के भीतर हो, आवश्यक होगा कि वह ऐसे समस्त ट्राफिक के लेने में जो उनमें से एक रेलवे से ऐसे आख़िर मन्ज़िल या स्टेशन पर पहुंचे और उसमें से दूसरी रेलवे पर उसको भेजने में समस्त योग्य और उचित सुगम-ताएँ बिना किसी अनुचित विलम्ब के, और बिना किसी ऐसी विशेषता या लाभ व हानि या क्षति के जिसका कि ऊपर वर्णन हुआ,

प्रदान करें, ताकि उक्त रेलवियों को आवागमन की लगातार लाइन की तरह प्रयोग करने की इच्छुक जनता को कोई रुकावट न हो, और ताकि जनता को इस सम्बन्ध में हर समय उक्त रेलवियों द्वारा समस्त उचित सुख सामिग्री प्राप्त हो सके।

(४) जो सुगमताएं इस धारा द्वारा प्रदान की जायगी उनमें प्रत्येक रेलवे प्रवन्धक की ओर से दूसरे रेलवे प्रबन्धक की प्रर्थना पर, किसी अन्य रेलवे प्रबन्धक को रेलवे से या रेलवे को, थरूरेट के हिसाव से, थरूट्राफिक का योग्य और उचित रूप से प्राप्त करना, भेजना और प्रदान करना सम्मिलित है। परन्तु शर्त यह है:—

[क] कि वह रेलवे प्रबन्धक जो ट्राफिक को भेजना चाहें अपने प्रस्ताविन महसूल थरूरेट की लिखित सूचना प्रत्येक प्रेषक रेलवे प्रबन्धक को देगा जिसमें उसकी रकम और हिस्सा रसदी दोनों और वह रास्ता जिससे कि ट्राफिक के भेजे जाने का प्रस्ताव हो, वर्णन होगा। जानवरों या माल का प्रस्तावित थरूरेट का महसूल प्रति ट्रंक [खुलीगाड़ी] या प्रति मन के हिसाव से हो सकता है।

[ख] कि उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात नियत समय के भीतर, प्रत्येक प्रेषक रेलवे प्रवन्धकको आवश्यक होगा कि वह उस रेलवे प्रबन्धक को जो ट्राफिक को भेजनी चाहे, इस वातको लिखित सूचना दे कि आया वह उक्त रेट, हिस्सा रसदी और रास्ते से राजी है या नहीं, और, यदि उसको कोई आपत्ति हो तो उस आपत्ति के कारण क्या हैं,

[ग] यदि उक्त नियत समय की समाप्ति पर प्रेषक रेलवे प्रवन्धक द्वारा कोई आपत्ति न की जाय, तो उक्त समय के व्यतीत होने पर वही महसूल प्रभावित होगा।

[घ] यदि नियत समय के भीतर महसूल हिस्सा रसदी या रास्ते के सम्वन्धमें कोई आपत्ति भेजी जाय, तो सकौन्सिल गवर्नर जनरल, यदि उचित समझें तो, रेलवे प्रबन्धकों में से किसी की प्रर्थना पर, झगड़े को निर्णय करने के लिये कमिश्नरों के सुपुर्द कर सकते हैं।

[ङ] यदि महसूल या रास्ते के स्वीकार करने के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो कमिश्नर्स इस बात का विचार करेंगे कि आया महसूल का स्वीकार होना सार्वजनिक हित के लिये

योग्य और उचित सुगमता है या नहीं, और स्थितियों पर ध्यान रखते हुए, प्रस्तावित रास्ता उचित रस्ता है या नहीं, और वह उक्त महसूल को अनुसारतःस्वीकार या अस्वीकार कर देंगे, या कोई ऐसा अन्य महसूल नियत कर देंगे जो कमिश्नरों को ठीक और उचित मालूम होता हो।

[च] यदि आपत्ति महसूल के केवल हिस्सा रसदी के सम्बन्ध में हो, और मुकद्दमा कमिश्नरों के सुपुर्द हो गया हो, तो महसूल का रेट नियत समय के व्यतीत होने पर प्रभावित हो जायगा, परन्तु उस का हिस्सा रसदी के सम्बन्ध में कमिश्नरों का निर्णय अतीत काल पर प्रभावित होगा, अन्य आपत्ति की अवस्था में, महसूल का प्रभावित होना उस समय तक स्थगित रहेगा जब तक कि कमिश्नर लोग मुकद्दमे में अपनी आज्ञा न प्रदान कर दें।

[छ] कमिश्नर थ्रूरेट के हिस्सा रसदी करने में मुकद्दमे की कुल स्थितियों पर विचार करेंगे जिनमें वह विशेष व्यय सम्मिलित है जो किसी रास्ते या रास्ते के भाग के बनवाने, रखने या चलाने में पड़ा हो और जिनमें वह विशेष खर्च भी सम्मिलित है जो कोई रेलवे प्रबन्धक उसकेसम्बन्ध में दावा करने का अधिकारी हो।

(ज)कमिश्नरस किसी दशामें किसी रेलवे प्रबन्धकको ऐसे महसूल प्रति मील से कम महसूल प्रति मील लेने के लिये विवश न करेंगे. जिसे रेलवे प्रबन्धक उसी प्रकार के ऐसे ट्राफिक के सम्बन्ध में, जो आने जाने के सामान साधन द्वारा आने जाने की किसी अन्य लाइन पर वैसे ही दो स्थानों के बीच अर्थात थ्रू मार्ग के रवाना होने के स्थान और आगमन के स्थान के बीच लेजाया जाता हो, उस समय कानून के अनुसार लेता रहा हो।

[झ] इस उपधारा की पूर्वोक्त आज्ञाओं के आधीन, कमिश्नरों को इस बात के निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा कि प्रस्तावित थ्रू रेट योग्य और उचित है चाहे किसी प्रेषक रेलवे प्रबंधक के लिये थ्रूरेटमें से उस अधिकसेअधिक महसूल से कम ही क्यों न दिया जाय, जो कि उक्त रेलवे प्रबंधक

मांगने का अधिकारी होता, और यह कि वह उसके अनुसार थिरूरेट को उचित मानें और हिस्सा रसदी नियत करदे।

[अ] निर्द्धारित समय जिसका कि इस उपधारा में वर्णन हुआ है एक मास या ऐसा अधिक समय होगा जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा नियत करें।

धारा ४३—(१) जब कि यह दिखलाया जाय कि रेलवे प्रबन्धक किसी व्यापारी से, किसी प्रकार के व्यापारियों से या किसी स्थानीय क्षेत्र फल के व्यापारियों से वैसे ही या उसी प्रकार के जानवरों या माल के सम्बन्ध में, या वैसी ही या उसी प्रकार की सेवाओं के सम्बन्ध में, उस से कम महसूल लेता है जो वह अन्य व्यापारियों से, अन्य प्रकार के व्यापारियों से या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र फल के व्यापारियों से लेता है, तो इस बात के प्रमाणित करने का भार कि उक्त कम महसूल अनुचित विशेषता की श्रेणी तक नहीं पहुंचता, रेलवे प्रबन्धक पर होगा।

समान ट्राफिक या सेवाओं के लिये विषम महसूलों की अवस्था में अनुचित विशेषता।

[२] इस बात के निर्णय करने में कि अमुक कम महसूल अनुचित विशेषता की श्रेणी तक पहुंचता है या नहीं, कमिश्नरों को अधिकारहोगा कि जहांतक वे उचित समझें,मुकद्मासम्बन्धी अन्य विचारों के साथ यह बात भी विचार में रखें कि सार्वजनिक हित के विचार से उस ट्राफिक के प्राप्त करने के अभिप्राय के लिये जिस के लिये कि कम महसूल मांगा गया हो, उक्त कम महसूल मांगना आवश्यकीय है या नहीं।

धारा ४४—जब कि रेलवे प्रबन्धक ऐसे इकरार नामे का फ़रीक़ हो जो उस रेलवे का ट्राफिक प्राप्त करने के लिये हुआ हो जिस को किसी देशागत जल पर ऐसी नाव, जहाज़, बोट या बेड़े द्वारा लेजाना हो, जो रेलवे प्रबन्धक के न हों और न रेलवे प्रबन्धक जिन को किराये पर ले और न चलाये, तो पूर्वोक्त अन्तिम दो धाराओं की आज्ञाएं जो रेलवे के सम्बन्ध में हैं नाव, जहाज,

सुगमताओं और समान व्यवहार सम्बन्धी आज्ञाएं जब कि ऐसे जहाज़ या बोट प्रयुक्त हों जो रेलवे का भाग नहीं है।

बोट या बेड़े से, जहां तक कि वह रेलवे के ट्राफिक के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त हो, सम्बन्ध रखेंगी।

आखिरी मन्जिल के किराये

धारा ९५—रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह आखिरी मन्जिल के उचित महसूल मांगे।

आखिरी मंजिल के किराये नियत करने का रेलवे कमीशन को अधिकार है।

धारा ९६—[१] सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि यदि वह उचित समझें तो वह किसी ऐसे प्रश्न या झगड़े को जो किसी ऐसे आखिरी मंजिल के किरायों के सम्बन्ध में उत्पन्न होता हो जो रेलवे प्रबन्धक द्वारा मांगे जाते हों, निर्णयार्थ कमिश्नरों के सुपुर्द करे, और कमिश्नर्स तब इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि आखिरी मंजिल के किरायों के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक को क्या रकम दिलाना उचित है।

[२] उक्त प्रश्न या झगड़े के निर्णय करने में कमिश्नरों को आवश्यक होगा कि वह केवल उस व्यय पर विचार करें जो उस सुख-सामिग्री के जुटाने के लिये उचित रूप से आवश्यक हो जिस के सम्बन्ध में कि आखिरी मंजिल के किराये मांगे जाते हों, बिना ध्यान में रखे हुए उन व्ययों के जो उक्त सुख-सामग्री के जुटाने में रेलवे प्रबन्धक ने वास्तव में किया हो।

छटा परिच्छेद
रेलवे का चलाना
सामान्य

सामान्य नियम

धारा ९७—[१] प्रत्येक रेलवे कम्पनी और, उस रेलवे की दशा में जिसका प्रबन्ध गवर्नमेन्ट के हाथ में हो, वह अफसर जो इस सम्बन्ध में सकौन्सिल गवर्नर जनरल की ओर से नियुक्त हो, इस एक्ट के अनुकूल निम्न अभिप्रायों के लिये सामान्य नियम बनाएंगे, अर्थात्:—

[क] उस विधि के प्रबन्ध के लिये कि जिस विधि से, और उस गति के प्रबन्ध के लिये कि जिस गति से वह पहियेदार चीज़ें जो रेलवे पर प्रयुक्त हो [illegible]

(ख) * यात्रियों को सुख और सहूलियत के सामान संग्रह करने के लिये और उन का माल असबाब ले जाने के लिये; ,

(ग) * यह निश्चय करने के लिये कि इस एक्ट के अभिप्रायों के लिये भयानक और हानि प्रद माल क्या २ समझा जायगा और ऐसे माल के ले जाने के प्रबन्ध के लिये,

(घ) उन शर्तों के प्रबन्ध के लिये जिस पर कि रेलवे प्रबन्धक सांक्रामिक या छूत के रोगों से ग्रसित यात्रियों को ले जायगा और उन गाड़ियों को जो उक्त यात्रियों द्वारा प्रयोग की जांय रोगरहित कराने के प्रबन्ध के लिये,

[ङ] रेलवे नौकरों के आचरण के प्रबन्ध के लिये,

[च] + उन नियमों और शर्तोंके प्रबन्धके लिये जिन पर कि रेलवे प्रबन्धक उस मनुष्य की ओर से जिस को कि माल भेजा जाय या मालिक की ओर से, किसी स्टेशन पर गोदाम में माल दाखिल करेगा या रखेगा। और

[छ] * सामान्यतः रेलवे पर सफ़र करने के लिये और रेलवे के प्रयोग, चलाने और प्रबन्धक को ठीक करने के लिये;

---

* रेलवे-नौकरों के काम करने, चाल चलन, और मुसाफ़िरों और भयानक माल के ले जाने के सम्बन्ध में, ब्रिटिश इंडिया में उन तमाम खुली हुई लाइनों के लिये जो गवर्नमेन्ट के प्रबन्ध में हों, देखिये जनरल स्टेटयूट आर एन्ड ओ जिल्द ३ पृष्ठ १३५०।

+ उन नियमों के लिये जो ब्रिटिश इंडिया की समस्त रेलवियों से लागू हों और जो उन शर्तों और नियमों के सम्बन्ध में है जिन पर कि रेलवे प्रबन्धक उस मनुष्य की ओर से जिस को कि माल भेजा जाय या मालिक की ओर से स्टेशन या डिपो पर, माल गोदाम में दाखिल करेगा या रखेगा, देखिये जनरल स्टेटयूट आर एन्ड ओ जिल्द ३ पृष्ठ १३४५।

[२] नियमों में यह आज्ञा हो सकती है कि वह मनुष्य जो उन में से किसी नियम का उल्लङ्घन करेगा उस को ऐसे जुरमाने की सजा होगी जिस की संख्या ५०) तक हो सकती है, और यह कि उस नियम की अवस्था में जो उप धारा [१] के खण्ड [ङ] के अनुसार बने, रेलवे के नौकरों को उतना रुपया जुब्ती में देना पड़ेगा जो एक महीने के वेतन से अधिक न हो, और जिस रुपये को रेलवे प्रबन्धक उस के वेतन से मुजरा कर सकता है।

[३] इस धारा के अनुसार बने हुए नियम का उस समय तक प्रभाव न होगा जब तक कि उस की मन्जूरी सकौन्सिल गवर्नर जनरल से न हो जाय और जब तक कि वह भारतीय गज़ट में प्रकाशित न हो जाय।

परन्तु शर्त यह है कि, जहां उक्त नियम उस नियम की शर्तों में हो जो भारतीय गज़ट में सविस्तार प्रकाशित हो चुका हो तो उक्त गजट में ऐसी विज्ञप्ति होना जिस में उस नियम का हवाला हो जो अभी छप चुका हो और जिस में उस पर अमल करने की सूचना दी गई हो, इस उप धारा के अर्थ के अन्तरगत भारतीय गज़ट में नियम का प्रकाशित होना समझा जायगा।

[४] सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह इस धारा के अनुसार बने हुए किसी नियम को रद्द कर दें, और उस अफसर को जिस को उप धारा के अनुसार यह आज्ञा हो कि उक्त उप धारा के अनुसार नियम बनावे, यह अधिकार होगा कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से उक्त किसी नियम * को रद्द करदे या बदल दे।

[५] जिस नियम से यह प्रकट होता हो कि वह किसी रेलवे के लिये भारतीय × रेलवियों के कानून सन १८७९ [एक्ट १ सन् १८७९] की धारा ८ के अनुसार बनाया गया है, और भारतीय गजट से यह प्रकाशित होता हो कि इस एक्ट के प्रचार-आरम्भ

---

* उन तमाम कुली लाइनों के लिये जो गवर्नमेन्ट के प्रबंध में हों भयानक माल संबंधी सामान्य नियमों में संशोधन के लिये देखिये, भारतीय गजट सन् १९०७, भाग १ पृष्ठ ६२९ और ८६१,

× इस एक्ट द्वारा मंसूख हुआ।

परं उक्त रेलवे से उक्त नियम का सम्बन्धित करना विचारणीय है तो चाहे उक्त नियम के बनाये जाने या प्रकाशित किये जाने में कोई दोष ही क्यों न हो, यही समझा जायगा कि उक्त नियम इस धारा के अनुसार बना और प्रभावित हुआ है।

[६] प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक के लिये आवश्यक होगा कि वह अपनी रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर उन सामान्य नियमों की एक नक़ल रखेजो इस धारा के अनुसार उस समय रेलवे में जारी हों और तमाम उचित समयों पर हर किसी मनुष्य को उसे मुफ्त देखने की अनुमति दे ।

संयुक्त ट्राफिक के संचालन के सम्बन्ध में रेलवियों के मत भेद का निर्णय

धारा ४८—जब कि दो या अधिक रेलवे प्रबंधक ऐसे हों, जो संयुक्त आखिरी मंजिल रखते हों या जिन की रेलवे की एक ही लाइन का भाग संयुक्त हो, या रेलवे की आमदरफ्त का सिलसले वार लाइन में जिनके प्रथक २ भाग हों और जो उक्त संयुक्त आखिरी मंजिल में या अपने बीच के जोड में, सार्वजनिक रक्षा के साथ, अपने संयुक्त ट्राफिक के संचालन के प्रबन्ध में सहमत न होते हों, तो, सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि उन प्रबन्धकों या किसी प्रबन्धक की प्रार्थना पर उन विवाद ग्रस्त बातों का जो उन के बीच में हों, वहां तक निर्णय करें जहां तक कि उन बातों का सम्बन्ध सार्वजनिक रक्षा से हो, और यह निर्णय करे कि उन प्रबन्धों में होने वाला कुल व्यय या उसका कितना२ अंश सब प्रबन्धकों को या किसी प्रबन्धक को क्रमशः उठाना पड़ेगा।

पहिये दार चीज़ों के बनाने या उनका पट्टा लेने के सम्बन्ध में सकौन्सिल गवर्नर जनरल से इकरार नामे।

धारा ४९—प्रत्येक रेलवे कम्पनी को, जो ऐसी रेलवे कम्पनी न हो जिसके सम्बन्ध में स्टेटयूट ४२ और ४३ विक्टोरिया परिच्छेद ४१ में आज्ञा है, अधिकार होगा कि वह समय २ पर किसी ऐसी पहिये वाली चीज़, यंत्र या कल के बनाने के लिये जो रेलवे

पर या रेलवे के सम्बन्ध में प्रयुक्त होती हो, या किसी ऐसी पहिये वाली चीज़, यंत्र या कल या सामान पट्टे पर देने या लेने के लिये जो रेलवे पर प्रयोग करने के लिये आवश्यक हो, या पहिये वाली चीज़ों के स्थिर रखने के लिये, सकौन्सिल गवर्नर जनरल के साथ इकरार नामे करे और उन पर अमल करे।

रेल चलाने का इकरार नामा करने के सम्बन्ध में रेलवे कम्पनियों का अधिकार

धारा ५०—प्रत्येक रेलवे कम्पनी को जो ऐसी रेलवे कम्पनी न हो, जिसके सम्बन्ध में स्टैट्यूट ४२ और ४३ विक्टोरिया परिच्छेद ४१ में आज्ञा है, अधिकार होगा कि वह समय २ पर, सकौन्सिल गवर्नर जनरल से, या उनकी मंजूरी लेकर किसी अन्य रेलवे प्रबन्धक से, निम्न प्रयोजनों में से किसी के सम्बन्ध में इकरार नामा करे और उस पर अमल करे, अर्थात्:—

(क) किसी रेलवे के चलाने, प्रयोग, प्रबन्ध और स्थिर रखने के सम्बन्ध में,

(ख) ऐसी पहियेदार चीज़ों और मशीनों के जुटाने के सम्बन्ध में जो खण्ड (क) में वर्णित किसी अभिप्राय के लिये आवश्यक हो और रेलवे ट्राफिक के संचालन के लिये अफसरों और नौकरों के संग्रह करने के सम्बन्ध में,

(ग) उक्त संचालन, प्रयोग, प्रबन्ध और स्थिरता विषयक उन रकमों के सम्बन्ध में जो अदा की जांयगी और उन शर्तों के सम्बन्ध में जो पूरी की जांयगी

(घ) ऐसे ट्राफिक के अदल बदल, टुल—सामिग्री और लेजाने के सम्बन्ध में जो इकरार नामा करने वाले फरीकों की पृथक २ रेलवियों पर हो, या रेलवियों से आता हो या जिनका उक्त रेलवियों पर लेजाने का विचार हो, और उस आय के नियत करने, संग्रह करने, बांटने और प्रयोग करने के सम्बन्ध में जो उक्त ट्राफिक से प्राप्त हो।

(ङ) सामान्यतः, इस धारा में इससे पूर्व वर्णित किसी प्रयोजन सम्बन्धी किसी ऐसी आज्ञा या शर्त को अमल में लाने के सम्बन्ध में जो इकरार करने वाले फरीक उचित समझें और जिस पर वे परस्पर सहमत हों

परन्तु शर्त यह है कि इकरार उन महसूलों पर कोई प्रभाव न डालेगा जिनके किसी मनुष्य से, समय २ पर, क्रमश मांगने और लेने के वे रेलवे प्रबन्धक जो इकरार नामे के फरीकैन हैं, अधिकारी हैं, और प्रत्येक ऐसा मनुष्य, उक्त इकरार नामे के होते हुए भी, उक्तरेलवे प्रबन्धकोंकी रेलवेको प्रयोग करनेऔर काममें लेनेका उन्हीं शर्तों और नियमों पर, और उन्हीं महसूलों के देने पर, अधिकारी होगा जो वह उस समय होता जब कि उक्त इकरार नामा न किया गया होता।

धारा ५१—प्रत्येक रेलवे कम्पनी, को जो ऐसी रेलवे कम्पनी न हो जिसके सम्बन्ध में स्टेटयूट ४२ और ४३ विक्टोरिया, परिच्छेद ४१, में आज्ञा है, अधिकार है कि वह सकौन्सिल गवर्नर जनरल की स्वीकृति से, समय २ पर, निम्न सब अधिकारों का या किसी अधिकार का प्रयोग करे, अर्थातः—

ट्राफिक के आराम के लिये घाटों और रास्तों का स्थापित किया जाना

(क) उसको अधिकार है कि वह अपनी रेलवेके ट्राफिकके आराम के लिये,ऐसा गुज़ारेका घाट स्थापित करे जो अच्छे प्रकारके और पर्य्याप्त परिमाणमें यंत्रों और कलोंसे संग्रहीत हो ताकि गुजारे के घाट का काम चल सके।

(ख) उसको अधिकार है कि किसी ऐसे गुज़ारे के घाट को जिसको उसने स्थापित किया हो, रेलवे के ट्राफिक के आराम के अतिरिक्त अन्य अभिप्रायों के लिये काम में लावे।

(ग) उसको अधिकार है कि वह अपने पुलोंमेंसे किसीपर पैदलचलने वालों, जानवरो, गाड़ियों, छकड़ों या अन्य ट्राफिक के लिये रास्ते बनवायें और उनको स्थिर रखे।

(घ) उसको अधिकार है कि वह अपनी रेलवे से या रेलवे को आने जाने वाले ट्राफिक के आराम के लिये रास्ते बनवाये और स्थिर रखे।

(ङ) उसको अधिकार है कि आने जाने के ऐसे साधन बनाये और स्थिर रखे जो ऐसे यात्रियों, जानवरों या माल की उचित सहूलियत के लिये आवश्यक हो जो उसकी रेलवे से ले जाये जांय या ले जाये जाने वाले हो।

(च) उसको अधिकार है कि उस ट्राफ़िक पर जो उन गुज़ारे के

घाटों,रास्तों, मार्गों,या आने जाने के साधनों को काम में लाये, जो इस धारा के अनुसार बनाये जांय, उस महसूल के निरखों की सूची के अनुकूल, राह दारी के किराये लगाये, जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल की मन्जूरी से समय २ पर तैयार की जांय।

धारा ५२—प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक के लिये आवश्यक होगा कि

नकशे | वह उन नमूनों में जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा निर्द्धारित किये जांय, अर्द्ध वार्षिक या उन समयों पर जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा नियत किये जांय, अपनी पूंजी, आय, के मामलों और अपने ट्राफिक के ऐसे नकशे तैयार करे जैसा कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल आज्ञा दें, और उक्त नकशों की एक नकल सकौन्सिल गवर्नर जनरल की सेवा में उन समयों पर भेजे जैसा कि वह आज्ञा करें।

सम्पत्ति का लाना लेजाना

धारा ५३—(१) प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक हर माल गाड़ी या

माल गाड़ी के डिब्बे के लिये अधिक से अधिक बोझ | खुली गाड़ी के लिये जो उसके कब्जे में हो, अधिक से अधिक बोझ निर्णय कर देगा, और उन शब्दों या अङ्कों को जो उक्त प्रकार निर्णय किये हुए बोझ को बतलाते हों, प्रत्येक उक्त माल गाड़ी के या खुली गाड़ी के बाहर विशिष्ट रीति से प्रकट कर देगा।

(२) प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसी माल गाड़ी या खुली गाड़ी का मालिक हो जो रेलवे पर होकर आती जाती हो, आवश्यक होगा कि माल गाड़ी के या खुली गाड़ी के लिये इसी तरह पर अधिक से अधिक बोझ को निर्णय और प्रकट करे।

(३) ऐसी प्रत्येक माल गाड़ी या खुली गाड़ी का कुल वज़न जो उस समय धुरी पर हो, जब कि माल गाड़ी या खुली गाड़ी में बोझा एक हद से अधिक से अधिक भर दिया जाय, उस हद से अधिक न होगा जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल उस प्रकार की धुरी के लिये नियत कर दें जो उस माल गाड़ी या खुली गाड़ी के नीचे हो।

रेलवे प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि वह ट्राफ़िक चलाने के लिये शर्त्तें लगाये

धारा ५४—(१) सकौन्सिल गवर्नर जनरल की निगरानी के आधीन, रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह जानवरों या माल के लेने, भेजने या देने के सम्बन्ध में ऐसी शर्त्तें लगाये जो इस एक्ट के प्रतिकूल न हों और न किसी ऐसे सामान्य नियम के प्रतिकूल हो जो उस के अनुसार बना हो।

(२) रेलवे प्रबन्धक अपनी रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर उन शर्त्तों की एक कापी रखेगा जो उपधारा (१) के अनुसार उस समय स्टेशन पर प्रचलित हों, और प्रत्येक मनुष्य को तमाम उचित समयों पर उसे मुफ्त देखने की अनुमति देगा।

[३] रेलवे प्रबन्धक उस जानवर को लाने लेजाने के लिये बाध्य न होगा जो किसी सांक्रामिक या छूत के रोग से ग्रसित हो

महसूलों, आखिरी मन्ज़िल के किरायों और अन्य रकमों के लिये माल रोक लेना

धारा ५५—[१] यदि कोई मनुष्य रेलवे प्रबन्धक द्वारा या रेलवे प्रबन्धक की ओर से मांगा जाने पर उस महसूल, आखिरी मन्ज़िल के किराये या अन्य रक़म को न दे जो उससे किसी जानवर या माल के सम्बन्ध में पावना हो, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उस मनुष्य के सब जानवरों या माल को या किसी जान वर या माल को रोक ले, या यदि उक्त जानवर या माल रेलवे से पृथक कर लिये गये हों तो उक्त मनुष्य के अन्य जानवर या माल को रोक ले जो उस समय रेलवे प्रबन्धक के कब्जे में हो या तत्पश्चात आवे।

(२) जब कि उप-धारा [१] के अनुसार कोई जानवर या माल रोक लिया गया हो, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह, नष्ट योग्य माल की अवस्था में तुरन्त ही, और अन्य माल या जानवरों की अवस्था में, अभीष्ट नीलाम की पन्द्रह रोज़ा ऐसी सूचना का समय गुज़र जाने पर, जो एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हो, या जहां ऐसा कोई समाचार पत्र न हो तो उस विधि में जैसा कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल नियत करें, सार्वजनिक नीलाम द्वारा, उक्त उतने जानवर या उतना माल

नीलाम करें जिससे उतनी रकम निकल आवे जो उक्त महसूल और उक्त रोक, सूचना और नीलाम के तमाम व्ययों के बराबर हो। उक्त व्ययों में, जानवरों की दशा में, वह व्यय सम्मिलित है जो उनके खिलाने, पिलाने और रख वाली करने में हों।

(३) नीलाम की बिक्री में से, रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह इतनी रकम रोक ले जो उक्त महसूल और उक्त व्ययों के बराबर हो, और बिक्री का शेष, यदि कुछ हो, और उन जानवरों और माल को, यदि कुछ हों, जो अविक्रित रह गये हों, उस मनुष्य को दे दे जो उन जानवरों या माल का अधिकारी हो।

[४] यदि कोई मनुष्य जिससे कि कोई महसूल, आख़िरी मन्ज़िल का किराया या अन्य महसूल मांगा गया हो, रेलवे स्टेशन से, उचित अवधि के भीतर उन जानवरों या माल को न हटावे जो उपधारा [१] के अनुसार रोक लिये गये हों या उन जानवरों या माल को न हटावे जो उपधारा [२] के अनुसार नीलाम के पश्चात अविक्रित रह गये हों, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उन सब का नीलाम कर दे और नीलाम की आय के सम्बन्ध में जहां तक हो सके सब उपधारा [३] के अनुसार कार्यवाही करे।

[५] उपर्युक्त उपधाराओं में चाहे कुछ ही क्यों न हो, रेलवे प्रबन्धक, नालिश द्वारा, उक्त महसूल, आख़िरी मन्ज़िल के किराये या अन्य महसूल को जिसका कि ऊपर वर्णन हुआ या उस के शेष रुपये को वसूल कर सकता है।

रेलवे में ऐसी चीज़ों के सम्बन्ध में कार्यवाही जिनका कोई दावेदार न हो

धारा ५६—[१] जब कोई जानवर या माल किसी रेलवे प्रबन्धक के कब्ज़े में लाने लेजाने या किसी अन्य कार्य के लिये आवे, और उन के सम्बन्ध में उनके मालिक, या उस अन्य मनुष्य की ओर से दावा न किया जाय जो रेलवे प्रबन्धक को उन का अधिकारी प्रतीत हो, तो रेलवे प्रबन्धक, यदि उक्त मालिक या मनुष्य का पता मालूम हो तो, उस पर एक सूचना की तामील करायेगा कि वह जानवरों या माल को ले जावे।

[२] यदि उक्त मालिक या मनुष्य का पता मालूम न हो, या सूचना की उस पर तामील न हो सकती हो, या यदि वह सूचना की

आज्ञा का पालन न करे तो, रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह, उचित समय के भीतर और किसी ऐसे अन्य कानून की आज्ञाओं के आधीन जो उस समय प्रचलित हो, सम्भवतः लगभग पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार उन जानवरों या माल को बेच दे और नीलाम की आय का शेष रुपया, यदि कुछ हो तो, किसी ऐसे मनुष्य को दे दे जो उसका अधिकारी हो।

कुछ अवस्थाओं में माल के देने पर जमानत मांगने का रेलवे प्रबन्धकों का अधिकार

धारा ५७—जब कि किसी ऐसे जानवर माल या नीलाम की आय पर जो रेलवे प्रबन्धक के कब्जे में हो, दो या अधिक मनुष्य दावा करे, या ऐसी टिकट या रसीद पेश न की जाय जो जानवरों या माल के लिये दी गई हो, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उक्त जानवरों, माल या नीलाम की आय को देना उस समय तक के लिये रोक दे जब तक कि वह मनुष्य, जो रेलवे प्रबन्धक की सम्मति में उनके प्राप्त करने का अधिकारी हो, उस के सन्तोषानुसार उन जानवरों, माल या नीलाम की आय सम्बन्धी किसी अन्य मनुष्य के दावों के मुकाबिले में, जमानत न दे दे।

माल की तफसील का लेख बद्ध हिसाब मांगा जाना

धारा ५८—(१) मालिक या वह मनुष्य जिसकी निगरानी में वह माल हो जो रेलवे पर, उसके द्वारा ले जाये जाने के अभिप्राय से लाया जाय, और वह मनुष्य (प्राप्ति—पात्र) जिसके नाम कि वह माल भेजा गया हो जो रेलवे पर लेजाया गया हो, किसी ऐसे रेलवे के नौकर की प्रार्थना पर जो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक द्वारा नियुक्त किया गया रेलवे के उक्त नौकर को लेख बद्ध ऐसा हिसाब देगा जिस पर उक्त मालिक के या उस मनुष्य के या प्राप्ति-पात्र के हस्ताक्षर हों और जिसमें उक्त माल का ऐसा विवरण हो जो उस महसूल के निश्चय करने के लिये पर्याप्त हो जो रेलवे प्रबन्धक उसके सम्बन्ध में लेने का अधिकारी है।

(२) यदि उक्त मालिक, मनुष्य या प्राप्ति—पात्र उक्त हिसाब देने से इनकार करे या देने में असावधानता करे, और पारसल या

पैकेज को जिसमें कि माल हो, इस अभिप्राय से कि उसमें किस प्रकार का माल है निश्चय होजायगा, खोलने से इन्कार करे, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि [क] उस माल के सम्बन्ध में जो रेलवे पर लेजाये जाने के अभिप्राय से लाया गया हो, उस समय तक लाने लेजाने से इन्कार कर दे जब तक कि उसके सम्बन्ध में ऐसा महसूल न देदिया जाय जो उस सब से बड़े महसूल से अधिक न हो जो उस समय रेलवे में किसी प्रकार के माल के लिये जारी हो, या (ख) उस माल के सम्बन्ध में जो रेलवे पर लेजाया गया हो, ऐसा महसूल मांगे जो उक्त सब से बड़े महसूल से अधिक न हो।

(३) यदि वह हिसाब जो उपधारा (१) के अनुसार दिया जाय उस माल के विवरण के सम्बन्ध में वास्तव में झूंठा हो जिससे उस विवरण का सम्बन्ध समझा जाता हो, और जो रेलवे पर लाया या लेजाया गया हो, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह माल को लाने लेजाने के सम्बन्ध में ऐसा महसूल मांगे जो ऐसे सब से बड़े महसूल के दुगुने महसूल से अधिक न हो, जो उस समय रेलवे पर किसी प्रकार के माल के लिये जारी हो, ।

(४) यदि रेलवे के नौकर और ऐसे माल के मालिक, जुम्मेदार या प्राप्ति—पात्र के बीच में, जो रेलवे पर लेजाने के लिये लाया गया हो या रेलवे पर लेजाया गया हो, उस माल के विवरण के सम्बन्ध में, जिसका कि हिसाब इस धारा के अनुसार दे दिया गया हो, कोई मत—भेद उत्पन्न हो, तो रेलवे के नौकर को अधिकार है कि वह माल को रोक ले और उसकी जांच करे।

(५) यदि जांच से यह बात मालूम हो कि उपधारा (१) के अनुसार दिये हुए हिसाब में वर्णित विवरण से उक्त माल का विवरण भिन्न है, तो वह मनुष्य जिसने कि हिसाब दिया, या, यदि वह मनुष्य माल का मालिक न हो तो वह मनुष्य और मालिक संयुक्ततः और पृथकतः रेलवे प्रबन्धक को उक्त माल के रोकने और जांचने का व्यय देने के जुम्मेदार होंगे, और रेलवे प्रबन्धक उस हानि सम्बन्धी तमाम उत्तर दायित्व से बचा रहेगा जो माल के रोकने और जांचने के कारण हुआ हो।

(६) यदि यह बात मालूम हो कि उपधारा (१) के अनुसार दिये हुए हिसाब में वर्णित विवरण माल के विवरण से भिन्न नहीं है,

तो रेलवे प्रबन्धक उक्त माल के मालिक को रोकने और जांचने का व्यय अदा करेगा और उस हानि का जुम्मेदार होगा जिसका ऊपर वर्णन हुआ।

धारा ५९—(१) कोई मनुष्य इस बात का अधिकारी न होगा कि वह रेलवे पर अपने साथ भय प्रद या हानि कर माल ले जाय या रेलवेप्रबन्धक से भय प्रद या हानिकर माल ले जाने के लिये कहे।

भय प्रद या हानिकर माल

(२) कोई मनुष्य वैसे माल को रेलवे पर, स्टेशन मास्टर या रेलवे के उसनौकरको, जिसकी निगरानीमें कि वह स्थानहो जहां कि वह रेलवे पर माल लाया हो, उस माल के प्रकार की सूचना दिये बिना अपने साथ लाने का अधिकारी न होगा, और न वह इस बात का अधिकारी होगा कि वह उन पैकेजों के बाहर जिनमें कि वह माल हो, उसके प्रकार के सम्बन्ध में बिना स्पष्ट चिन्ह लगाये, या रेलवे के उस नौकर को जिसको कि वह माल पेश करता या देता हो, उस माल के प्रकार की बिना लेख बद्ध सूचना दिये, रेलवे पर लेजाने के लिये पेश करे या दे।

(३) रेलवे का नौकर ऐसे माल को लाने लेजाने के लिये लेने से इन्कार कर सकता है और जब कि वैसा माल उसकी जानकारी में *[उपधारा (२)] में वर्णित सूचना दिये बिना, उक्त प्रकार माल लेलिया गया हो तो उसे अधिकार है कि वह उस माल को लाने लेजाने से इन्कार कर दे या उस माल का भेजना रोक दे।

(४) यदि रेलवे का कोई नौकर इस बात के विश्वास करने का कारण रखता है कि वैसा माल किसी ऐसे पैकेज के भीतर है जिसके भीतर के माल के सम्बन्ध में उसकी जानकारी में, उपधारा (२) में वर्णित सूचना नहीं दी गई है तो उसको अधिकार है कि उस पैकेज को उसके भीतर के माल के निश्चय करने के अभिप्राय के लिये खुलवा डाले।

---

* शब्द और संख्या" उपधारा (२)" शब्द औरसंख्या" उपधारा १" के स्थान में भारतीय रेलवे एक्ट सन १८९० के संशोधन कानून सन १८९६ (९, सन १८९६) के अनुसार रखे गये।

(५) इस धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ न लिया जायगा जिससे इण्डियन एक्स प्लोज़िव एक्ट सन १८८४ या उसके अनुसार बना हुआ कोई नियम रद्द हो सके, और न उपधारा (१) (३) और (४) की किसी बात का ऐसा अर्थ लिया जायगा जिससे कि वह उस माल से सम्बन्धित हो जाय जो गवर्नमेन्ट की आज्ञा से या ओर से लेजाने के लिये पेश किया या दिया गया हो, या जिसको कि कोई अफसर, सैनिक, नाविक या पुलिस अधिकारी, या वह मनुष्य जो भारतीय स्वयं सेवक कानून सन १८६९ (एक्ट २० सन १८६९) के अनुसार भरती हुआ हो, अफ़सर, सैनिक, नाविक, पुलिस अधिकारी या स्वयं सेवक की हैसियत से अपनी नौकरी के ज़माने में रेलवे पर अपने साथ लेजाये।

सर्व साधारण को यह अधिकार एक दिखाना जिसके द्वारा कि लिखे हुए किराये माँगे जाते हैं

धारा ६०— प्रत्येक ऐसे स्टेशन पर जिस पर कि रेलवे प्रबन्धक ने यात्रियों और उनके असबाब को छोड़ कर अन्य ट्राफिक के लेजाने के लिये, दूसरे स्टेशन तक का महसूल लिख रखा हो, रेलवे का वह नौकर जो रेलवे प्रबन्धक की ओर से महसूल लिख रखने के लिये नियुक्त हुआ हो, किसी मनुष्य की प्रार्थना पर, तमाम उचित समयों और बिना किसी फीसके लिये, महसूल की वह किताबें या अन्य लेख पत्र दिखलायेगा जिनमें सम्बन्धित प्रबन्धक या प्रबन्धकों ने महसूल का अधिकार दिया हो।

थोक किरायों की तफसील देना रेलवे प्रबन्धकों पर आवश्यक है

धारा ६१— (१) जब किसी रेलवे प्रबन्धक द्वारा उस माल के सम्बन्ध में जो उस की रेलवे पर लेजाया गया हो कोई रकम माँगी जाय और वह उस प्रबन्धक को देदी जाय, तो रेलवे प्रबन्धक उस मनुष्य की प्रार्थना पर जिसने या जिसकी ओर से माँगी हुई रकम अदा की गई हो, प्रार्थी को ऐसा हिसाब देगा जिससे यह प्रकट हो कि वह रकम प्रत्येक नीचे की मद में जाती है, अर्थात्—

(क) रेलवे पर माल का लेजाना.

(ख) टर्मिनल चार्जेज़ के किराये

(ग) विलम्ब दण्ड (डेमरेज)

(घ) संग्रह करने और देने का व्यय और अन्य व्यय।

परन्तु उन पृथक २ रकमों का विवरण दिये बिना जो प्रत्येक मद की मांगी हुई रकम में सम्मिलित हों।

(२) उपधारा (१) के अनुसार प्रार्थना पत्र लेख बद्ध होना चाहिये और मांगी हुई रकम प्रार्थी द्वारा या प्रार्थी की ओर से दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर रेलवे प्रबन्धक के पास पहुंचना चाहिये और प्रार्थना पत्र के पहुंचने के पश्चात रेलवे प्रबन्धक द्वारा हिसाब दे दिया जाना चाहिये।

यात्रियों का लाना लेजाना

यात्रियों और रेलवे के उन नौकरों के दरम्यान जिनकी रक्षा में रेल गाड़ी हो सूचना का प्रबन्ध

धारा ६२—सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह रेलवे प्रबन्धक को इस बात की आज्ञा दे कि वह अपनी उस रेल गाड़ी में जिसे वह चलाता हो और जो यात्रियों को लाती ले जाती हो, यात्रियों और रेलवे के उन नौकरों के दरम्यान जो रेलगाड़ी के रक्षक हों, सूचना के ऐसे समुचित साधन संग्रह करे और उन्हें उचित रीति में स्थिर रखे जिनको सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया हो।

प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये यात्रियों की अधिक से अधिक संख्या

धारा ६३—प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक, सकौन्सिल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के आधीन, यात्रियों की ऐसी अधिक से अधिक संख्या निर्द्धारित करेगा जो प्रत्येक प्रकार की गाड़ी के प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट में लेजाई जासके, और उक्त प्रकार निर्द्धारित संख्या को प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के भीतर या बाहर विशिष्ट रीति में अङ्गरेजी में या उन देशी भाषाओं में से एक वा अधिक भाषाओं में जो उस देश में साधारणतः प्रयोग में आती हों, जिसमें होकर रेलवे निकली हो, या दोनों भाषाओं में अर्थात अंगरेजी और ऐसी देसी भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं में, जैसा कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल, रेलवे प्रबन्धक से परामर्श करने पश्चात, निश्चय करें, प्रकट करेगा।

धारा ६४—(१) पहिली जनवरी सन् १८९१ को और उस

स्त्रीयों के लिये कम्पार्ट मेन्टों का सुरक्षित रहना

के बाद से, प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक को आवश्यक होगा कि वह उस गाड़ी में जो यात्रियों को लेजाती हो, सब से नीचे के दरजे की गाड़ी का, जो रेलगाड़ी का भाग हो, कम से कम एक कम्पार्टमेन्ट स्त्रियों के लिये सुरक्षित रखे।

(२) यदि रेलगाड़ी पचास मील से अधिक दूर जाने वाली हो तो उक्त प्रकार सुरक्षित ऐसे प्रत्येक कम्पार्ट मेन्ट में एक पखाना भी रहेगा।

धारा ६५—प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक को आवश्यक होगा कि

समय-सूचक और किराया सूचक पत्रों का स्टेशनों पर प्रदर्शन

वह अपनी रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर ऐसी जगह जो स्पष्ट हो और जहां पहुंचा जा सकता हो, अंग्रेजी में और उस देसी भाषा में जो उस प्रदेश में जहां कि स्टेशन हो साधारणतः प्रयोग में आती हो, ऐसे समय-सूचक पत्रों की, जो रेलवे पर उस समय जारी हों, एक नकल और उन किरायों के सूची पत्र लटकावें, जो उस स्टेशन से. जहां कि सूची पत्र लटकाये गये हों, उस स्थान तक यात्रा करने के लिये, जिस के लिये कि कार्ड टिकिट उक्त स्टेशन पर साधारण यात्रियों को जारी किये जाते हों, मांगे जाने योग्य हों।

धारा ६६—(१) प्रत्येक ऐसे मनुष्य को, जो रेलवे यात्रा करने का इच्छुक

किराया देने पर टिकटों का दिया जाना

हो, अपना किराया देने पर एक टिकिट मिलेगा जिस में गाड़ी का दरजा जिसके लिये, और स्थान जहां से लेकर और वह स्थान, जहां तक का कि किराया दिया गया हो, और किराये की रक़म निरूपित रहेंगे।

(२) उपधारा (१) के अनुसार आवश्यकीय बातें जो टिकिट पर निरूपित होनी चाहिये,

(क) यदि गाड़ी का दरजा जो उस पर निरूपित होना चाहिये सब से नीचा हो, तो ऐसी देशी भाषा में होंगी जो उस प्रदेश में साधारणतः प्रयुक्त होती हो जहां हो कर कि रेलवे निकली हो, और

(ख) यदि गाड़ी का दरजा जो निरूपित होना चाहिये सबसे नीचे दरजे के सिवाय कोई और हो, तो अंगरेजी में होगी।

धारा ६७—(१) किरायों का स्वीकृत होना और टिकटों का बंटना इस अवस्था के आधीन समझा जावगा कि रेल गाड़ी में जिसके लिये कि टिकट बंटे हों जगह रहे।

उस अवस्था के विषय में आज्ञा जब कि उन रेल गाड़ियों के लिये टिकट बट चुकी हों जिनमें अधिक यात्रियों के लिये स्थान न हो

(२) जिस मनुष्य को टिकट दिया गया हो और उसको उस रेल गाड़ी में जगह न मिले जिसके लिये टिकट दिया गया हो, तो उक्त रेल गाड़ी के चले जाने के पश्चात तीन घन्टों के भीतर टिकट वापिस देने पर, वह मनुष्य तुरन्त अपना किराया वापिस पाने का अधिकारी होगा।

[३] जिस मनुष्य को गाड़ी के उस दरजे में जगह न मिले जिसके लिये कि उसने टिकिट मोल लिया हो, और जिसको नीचे दरजे की गाड़ी में यात्रा करनी पड़ी हो तो वह टिकट देने पर इस बात का अधिकारी होगा कि उस महसूल के जो उसने दिया हो और उस महसूल के दरम्यान जो वह उस दरजे के लिये देता जिसमें कि यात्रा की हो, जो अन्तर हो वह उसे वापिस मिले।

धारा ६८—कोई मनुष्य, रेलवे के नौकर की अनुमति विना, रेलवे की किसी गाड़ी में यात्री रूप से उसमें यात्रा करने के अभिप्राय से, उस समय तक, प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास उचित पास या टिकिट न हो।

पास या टिकिट विना यात्रा करने का निषेद

धारा ६९—रेलवे का प्रत्येक यात्री, रेलवे के उस नौकर के मांगने पर जो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक की ओर से नियुक्त हुआ हो, जांच के रेलवे अपना पास या टिकिट उक्त नौकर के सामने पेश करेगा, और उस यात्रा की समाप्ति पर या समाप्ति के लगभग, जिसके लिये कि

पास या टिकटों का दिखाना और दे देना

पास या टिकिट जारी हुआ हो, या फसली पास या टिकिट होने की दशा में, उस अवधि की समाप्ति पर जब तक कि वह चालू रहे, उक्त पास या टिकिट को रेलवे के नौकर को दे देगा ।

वापिसी और मौसमी टिकट

धारा ७०— वापिसी या मौसमी टिकिट किसी दूसरे मनुष्य को नहीं दिया जा सकता और वह केवल उसी मनुष्य द्वारा प्रयुक्त हो सकता है जिसको उन स्थानों से और उन स्थानों तक यात्रा के लिये जिनका निरूपण टिकट पर हो, वह जारी हो ।

ऐसे मनुष्य को लाने ले जाने से इन्कार करने का अधिकार जो सांक्रामिक या छूत वाले रोग से ग्रसित हो

धारा ७१—(१) रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह किसी ऐसे मनुष्य को जो किसी सांक्रामिक या छूत वाले रोग से पीड़ित हो लाने लेजाने से इन्कार कर दें, सिवाय इसके कि वह उन शर्तों के अनुकूल हो जो धारा (४७) उपधारा (१), खण्ड (व) द्वारा लगाई गई हों ।

(२) जो मनुष्य उक्त किसी रोग से पीड़ित हो, स्टेशन मास्टर या रेलवे के उस नौकर की अनुमति बिना रेलवे पर प्रवेश या यात्रा नहीं कर सकता जिसकी निगरानी में वह स्थान हो जहां कि वह रेलवे पर प्रवेश करता हो ।

(३) ऐसी अनुमति के देने वाले रेलवे के नौकर को, जिसका वर्णन कि उपधारा (२) में हुआ है, चाहिये कि ऐसा प्रबन्ध करे कि उक्त रोग से पीड़ित मनुष्य उन अन्य लोगों से पृथक रहे जो रेलवे पर हों या यात्रा कर रहे हों ।

सातवां परिच्छेद

वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धकों का उत्तर दायित्व।

पशुओं और मालके वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धक के सामान्य उत्तर दायित्व का परिमाण

धारा ७२—रेलवे प्रबन्धक का उत्तर दायित्व, उन पशुओं और माल की हानि, नाश या खराबीकेलिये, जोरेलवेप्रबन्धक को रेलवे द्वारा लाने ले जाने के लिये दिये जांय, इस एक्ट की अन्य आज्ञाओं के आधीन, वही होगा जो कानून भारतीय संविद (मुआहिदा) सन १८७२ (एक्ट ९ सन १८७२)की धाराएं१५१,१५२ और १६१ के अनुसार वली (संरक्षक) का उत्तर दायित्व है।

(२) वह इकरार जो उक्त उत्तर दायित्व का सीमा बद्ध करना प्रकट करता हो, जहां तक उससे उक्त सीमा—बद्धता पर प्रभाव पड़ता हो, उस समय तक अनुचित होगा, जब तक कि—

[क] वह लेख बद्ध न हो और उस पर उस मनुष्य के या उस मनुष्य की ओर से हस्ताक्षर न हों जो रेलवे प्रबन्धक को पशु या माल भेजता हो या देता हो, और

[ख] वह अन्यथा उस नमूने * में न हो जो सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया है।

[३] इंगलेंण्ड के साधारण कानून और कानून वाहक सन १८६५ (एक्ट ३ सन १८६५) की कोई बात, जो पशुओं या माल के लाने ले जाने के संबन्धमें सामान्य वाहकों के उत्तर दायित्व के विषय में है, रेलवे प्रबन्धक के उस उत्तर दायित्व पर प्रभाव न डालेगी जिस की परिभाषा इस धारा में हुई है।

---

* रिज़्क नोट कार्यों के लिये जो इसधारा द्वारा नियत हुए देखिये जनरल स्टेटयूट आर एण्ड ओ, जिल्द ८, पृष्ठ १४९२, और भारतीय गजट १९०७, भाग १, पृष्ठ १८०, और १९०९, भाग १ पृष्ठ २३२।

पशुओं के वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धक की जुम्मेदारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त आज्ञा

धारा ७३—[१]पूर्वोक्त अन्तिम धाराके अनुसार रेलवेप्रबन्धक का वह उत्तर दायित्व जो उन पशुओं के हानि, नाश या खराब होने के सम्बन्ध में हो जो उक्त प्रबन्धक को रेलवे पर लाने लेजाने के लिये दिये जांय उस समय तक किसी दशा में, हाथियों या घोड़ों की अवस्था में, ५००) पशु से अधिक न होगा, और या (खिच्चरों) ×, ऊंटों या सींगदार पशुओं की अवस्था में, ५०) पशु से अधिक न होगा, या (गधों)× भेड़, बकरियों, कुत्ते या अन्य जानवरों की अवस्था में, १०) जानवर से अधिक न होगा, जब तक कि वह मनुष्य जो उक्त प्रबन्धक को जानवर भेजता या देता हो, रेलवे द्वारा लाने लेजाने के लिये देते समय, वह प्रकट न करादे या न करदे कि उक्त पशु क्रमशः पांच सौ रुपये, पचास रुपये या दस रुपये पशु से, जैसी कि अवस्था हो, अधिक मूल्य के हैं।

(२) जब कि उक्त अधिक मूल्य प्रकट किया गया हो तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि बढ़ी हुई जोखम के सम्बन्ध में, उस मूल्य के अधिक भाग पर जो पूर्वोक्त पृथक २ रकमों के ऊपर उक्त प्रकार प्रकट की गई हो, प्रति सैकड़ा कुछ महसूल मांगे।

(३) रेलवे प्रबन्धक के प्रतिकूल ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में जो किसी पशु की हानि, नाश, खराबी के कारण हरजे के वसूल करने के लिये हो, जानवर के मूल्य के प्रमाणित करने का भार, और, जब कि जानवर को कोई क्षति पहुंची हो तो क्षति का परिमाण प्रमाणित करने का भार हरजे के दावेदार मनुष्य पर होगा।

यात्रियों के असबाब लेजाने वाले की हैसियत से रेलवे प्रबन्धक की जुम्मेदारी की सम्बन्ध में अतिरिक्त आज्ञा

धारा ७४—किसी ऐसे असबाब की हानि, नाश या खराबी के लिये, जो किसी यात्री का हो या जो किसी यात्री की निगरानी में हो, रेलवे प्रबन्धक उस समय तक जुम्मेदार न

× शब्द "खिच्चर" और "गधों" भारतीय रेलवे कानून १८९० के संशोधन कानून सन १८९६ (ऐक्ट ९ सन १८९६) की धारा ४ द्वारा बढ़ाये गये।

होगा जब तक कि रेलवे के नौकर ने उक्त असवाब को अपने रजि-स्टर में लिखकर उसकी रसीद न देदी हो ।

विशेष मूल्य की वस्तुओं के वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धक की जुम्मेदारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त आज्ञा

धारा ७५— (१) जब कि ऐसी वस्तुएं जिनका दूसरे शैडयूल में वर्णन है किसी पारसल या पेकेज में बन्द करके रेलवे द्वारा लेजानेकेलिये किसी रेलवे प्रबन्धकके हवाला की जांय, और उक्त वस्तुओंका मूल्य, जो पारसल या पैकेज में हो, सौ रुपये से अधिक हो, तो रेलवे प्रबन्धक पारसल या पेकेज के क्षति होने, नष्ट होने या बिगड़ने का जुम्मेदार न होगा सिवाय उस सूरत के कि उस मनुष्य ने जिसने उस पारसल या पैकेज को उक्त प्रबन्धक को भेजा या हवाला किया हो, रेलवे द्वारा भेजे जाने के लिये पारसल या पेकेज के के देने के समय, उसके मूल्य और उसके अन्दर की वस्तुओं का स्पष्टी करण किया या कराया हो, और रेलवे प्रबन्धक द्वारा आज्ञा देने की दशा में, उक्त स्पष्ट की हुई मालियत पर बढ़ती हुई जुम्मे-दारी के सम्बन्ध में हरजे के तौर पर सैकड़े के हिसाब से कुछ दिया या देने का इकरार किया हो ।

[२] जब कोई ऐसा पारसल या पैकेज जिसकी मालियत का स्पष्टी करण उपधारा [१] के अनुसार हुआ हो, खोगया, नष्ट हो गया या खराब हो गया हो, तो उक्त क्षति, नष्ट होने या खराब होने के सम्बन्ध में वसूल होने योग्य हरजा उक्त प्रकार स्पष्ट की हुई मालियत से न बढ़ेगा और उक्त प्रकार स्पष्ट की हुई मालियत के प्रमाण करने का भार, ठीक मालियत होने के लिये, उस मनुष्य पर होगा जो दावा करता हो, इस बात के होते हुये भी कि स्पष्टी करण (Declaration) में कुछ ही लिखा हो ।

(३) रेलवे प्रबन्धकको अधिकार है कि वह किसी ऐसे पारसल के लेजाने के सम्बन्ध में जिस में दूसरे शैडयूल में वर्णित वस्तु के रहने का स्पष्टी करण किया जाय, यह शर्त लगा दे कि कोई रेलवे मुलाज़िम जिस को इस सम्बन्ध में अधिकार दिया जाय, जांच या अन्य प्रकार से इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाय कि उक्त पारसल में वास्तव में वही चीज़ है जिस के रहने का उस में स्पष्टी करण किया है ।

उन नालिशों का प्रमाण भार जो पशुओं या माल की हानि के सम्बन्ध में हो

धारा ७६— रेलवे प्रबन्धक के विरुद्ध किसी ऐसी नालिश में जो उन पशुओं या माल के क्षति होने नष्ट होने या खराब होने के कारण हरजे के सम्बन्ध में किया जाय, जो रेलवे द्वारा लेजाये जाने के लिये रेलवे प्रबन्धक को हवाला किये जांय, मुद्दई के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह यह प्रमाणित करे कि क्षति, विनाश या खराबी क्यों कर हुई।

अधिक किरायों की वापिसी और हानि के हरजे के सम्बन्ध में दावों की विज्ञप्ति

धारा ७७— कोई मनुष्य इस बात का अधिकारी न होगा कि उस को उन पशुओं या माल के सम्बन्ध में जो रेलवे द्वारा लेजाये गये हों, अधिक किराये की वापिसी मिले या उन पशुओं या माल के गुम होने नष्ट होने या खराब होने के कारण, जो इस प्रकार लेजाये जाने के लिये हवाला किये जांय, हरजे का अधिकारी होगा सिवाय उस सूरत के कि उक्त वापिसी या हरजे के सम्बन्ध का उस का दावा उस ने या उस की ओर से रेलवे द्वारा पशुओं या माल के लेजाये जाने के लिये हवाला करने की तारीख से छे मास के भीतर रेलवे प्रबन्धक के सामने लेख बद्ध पेश किया या पेश किया गया हो।

इस हालत में जुम्मेदारी से बचाव जब कि माल का विवरण झूठा दिया गया हो

धारा ७८— इस परिच्छेद की पूर्वोक्त आज्ञाओं में चाहे जो कुछ क्यों न लिखा हो, रेलवे प्रबन्धक ऐसे माल के खो जाने नष्ट होने या खराब होने के लिये जुम्मेदार न होगा जिस के विवरण के सम्बन्ध में धारा ५८ की उपधारा (१) के अनुसार वास्तव में हिसाब झूठा दिया गया हो, यदि उक्त क्षति, विनाश या खराबी किसी तरीके से झूठे हिसाब के कारण हुई हो और न किसी दशा में माल की मालियत से बढ़ी हुई रकम के लिये जुम्मेदार होगा, यदि उक्त मालियत झूठे हिसाब में दिये हुए विवरण के अनुसार लगाई गई हो।

धारा ७९— जब कि कोई अफसर, सिपाही या अनुयायी, उस समय जब कि वह अपनी उक्त हैसियत से काम पर ऐसी रेलवे में हो या सफर कर रहा हो जो गवर्नमेन्ट की हो और गवर्नमेन्ट द्वारा चलाई जाती हो, ऐसी दशाओं में अपना प्राण खोवे या शारीरिक हानि उठावे कि यदि वह जैसा अफसर, सिपाही या अनुयायी, न होता जो अपनी उक्त हैसियत से अपने काम पर उक्त रेलवे में हो या सफर कर रहा हो तो हरजा एक्ट, १३ सन १८५५ के अनुसार देय होता या उस को दिलाया जाता, जैसी कि दशा होती, तो उस हरजे का तरीका और परिमाण जो उस को उस जान जाने और हानि उठाने के सम्बन्ध में दिलाया जायगा, उस हाल में जब कि उन सैनिक नियमों में इस सम्बन्ध में कोई आज्ञा हो जिन सैनिक नियमों का वह कि अपने मरने से पहिले आधीन था या अब तक है, उन्हीं नियमों के अनुसार, न कि किसी और तरह पर, निश्चय किया जायगा।

उन हानियों के सम्बन्ध में हरजे का चुकाना जो उन अफसरों, सिपाहियों और भीड़ को पहुंची हो जो काम पर हों

धारा ८०— चाहे ऐसे इकरार में कुछ ही क्यों न हो जिस से किसी रेलवे प्रबन्धक की जुम्मेदारी का, विशेषतः ट्राफिक के सम्बन्ध में जब कि वह किसी और प्रबन्धक की रेलवे पर हो, परिमित होना प्रकट होता हो, किसी मुसाफिर की प्राणहानि या शारीरिक हानि के हरजे की नालिश या पशुओं या माल के खोने, नष्ट होने या खराब होने की नालिश, उस दशा में जब कि उक्त मुसाफिर या पशु या माल दो या अधिक रेलवे प्रबन्धकों की रेलवियों पर से जाने के लिये रजिस्टर में दर्ज हुए हों, चाहे उस रेलवे प्रबन्धक के नाम जिससे मुसाफिर ने अपना पास प्राप्त किया या टिकिट खरीद किया था या जिस को वह पशु या माल उन के भेजने वाले ने हवाला किये थे, या उस रेलवे प्रबन्धक के नाम, जैसी कि दशा हो, दाइर की जा सकती है जिस की रेलवे पर क्षति, विनाश या खराबी, या हानि हुई हो।

उस हानि के सम्बन्ध की नालिशें जो थ्रू बुकड ट्राफिक को पहुंची हो

धारा ८१—भारतीय रेलवेज़ के कानून सन १८९० के संशोधक कानून सन १८९६ (एक्ट ९ सन १८९६) की धारा ५ के अनुसार मंसूख।

देशी जलों पर ऐसे जहाज़ द्वारा जो रेलवे का भाग न हो ट्राफिक के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक की ज़ुम्मेदारी का परिमित होना

धारा ८२—(१) जब कि कोई रेलवे प्रबन्धक मुसाफिरों या जानवरों या मालों को कुछ दूर तक रेलवे के द्वारा और कुछ दूर तक समुद्र के मार्ग से लेजाने का इकरार करे तो एक ऐसी शर्त जिससे रेलवे प्रबन्धक किसी प्राण हानि या शारीरिक कष्ट या जानवरों या मालों की हानि या हरजे की ज़ुम्मेदारी से जो समुद्र के मार्ग से लेजाने के मध्य में, ईश्वर की इच्छा से और राजा के वैरियों के हाथ से और आग से और कलों और देग और धुये की दुर्घटनाओं के कारण हों, और जिससे समुद्र और दरिया और जहाज़ चलाने के समस्त और प्रत्येक अन्य आशङ्काओं और दुर्घटनाओं की, चाहे वह किसी तरह और प्रकार के क्यों न हों, ज़ुम्मेदारी से मुक्त होजाय स्पष्ट वर्णन न होने पर भी इकरार का एक अंश समझीजायगी और उपर्युक्त शर्त के आधीन, रेलवे प्रबन्धक बिलालिहाज़ इस बात के कि वह जहाज़ जो समुद्र में लाने लेजाने के काम में आता हो किस जाति का है या उसका मालिक कौन है, प्रत्येक ऐसी प्राण हानि या शारीरिक हानि या जानवरों या मालों की हानि या हरजे का जो समुद्र के मार्ग से लेजाने के मध्य में हो, उसी हद तक ज़ुम्मेदार होगा जिस हद तक वह मर्चेन्ट शिपिङ्ग एक्ट सन १८५४ और मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट के संशोधक कानून सन १८६२ के अनुसार ज़ुम्मेदार होता यदि उक्त जहाज़ इन कानूनों में से पहिले कानूनों के अनुसार रजिस्टरी किया हुआ होता और रेलवे प्रबन्धक उक्त जहाज़ का मालिक होता परन्तु उस हद से अधिक नहीं।

समुद्र की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक की ज़ुम्मेदारी की मीयाद

---

(२) इस बात के प्रमाण करने का भार कि वैसी कोई हानि या हरजा जिस के सम्बन्ध में, उपधारा (१) में वर्णन है समुद्र के मार्ग से लेजाने के मध्य में हुआ है, रेलवे प्रबन्धक पर होगा।

आठवां परिच्छेद

दुर्घटनाएं

धारा ८३—जब रेलवे के चलाने के मध्य में निम्न लिखित दुर्घटनाओं में से कोई दुर्घटना हो, अर्थात:—

रेलवे की दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

(क) कोई ऐसी दुर्घटना जिसमें मनुष्य के प्राण की हानि, ऐसी सख्त चोट जिसकी परिभाषा भारतीय दण्ड संग्रह में की गई है या सम्पत्ति का सख्त नुकसान हो।

(ख) ऐसी ट्रेनों का टकरा जाना जिनमें से एक ऐसी ट्रेन हो जो मुसाफिरों को लाती या लेजाती हो।

(ग) किसी ऐसी ट्रेन का जो मुसाफिरों को लाती लेजाती हो, या उसके किसी भाग का, रेल की पटरी से उतर जाना।

[घ] इस प्रकार की दुर्घटना जिसमें सामान्यतः मनुष्य-प्राण की हानि, या सख्त चोट जिसका कि ऊपर वर्णन किया गया है या सम्पत्ति का सख्त नुकसान हो,

[ङ] किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना जिसे सपरिषद् गवर्नर जनरल इस सम्बन्ध में भारतीय गजट में विज्ञापित करे;

तो रेलवे प्रबन्धक जो रेलवे को चलाता हो, और यदि दुर्घटना ऐसी ट्रेन के सम्बन्ध में हो जो किसी अन्य रेलवे प्रबन्धक की हो तो दूसरा रेलवे प्रबन्धक भी, अनावश्यकीय विलम्ब बिना, उस दुर्घटना की सूचना स्थानीय गवर्नमेण्ट और रेलवे के लिये नियुक्त इन्सपैक्टर को देगा। और वह स्टेशन मास्टर जो उस स्थान के करीब तर हों जहां कि दुर्घटना हुई हो, या जहां कि स्टेशन मास्टर न हो, तो वह रेलवे का मुलाजिम जो उस रेलवे के भाग का इन्चार्ज हो जिस पर कि दुर्घटना हुई हो, अनावश्यकीय विलम्ब विना, उक्त दुर्घटना की सूचना उस जिले के मजिस्ट्रेट को देगा जिसमें कि दुर्घटना हुई हो, और उस अफसर को सूचना देगा जिसकी निगरानी में वह पुलिस स्टेशन हो जिसकी स्थानीय सीमाओं के

अन्तरगत दुर्घटना हो, या उस अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर को जिसे कि सपरिषद् गवर्नर जनरल इस सम्बन्ध में नियुक्त करें।

दुर्घटनाओं की सूचना और तहकीकात के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार

धारा ८४—सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह इस एक्ट के अनुकूल और किसी ऐसे अन्य कानून के अनुकूल जो उस समय प्रचलित हो, निम्न लिखित कुल या किसी प्रयोजन के लिये नियम बनावें, अर्थात्:—

[क] उन सूचनाओं के नमूने नियत करने के लिये जिनका वर्णन ऊपर की अन्तिम धारा में हुआ है, और दुर्घटना की उन तफसीलों के विषय में जो उक्त सूचनाओं में होंगी।

[ख] दुर्घटनाओं की किस्म नियत करने के लिये जिसकी सूचना कि तार द्वारा दुर्घटना होने के पश्चात तुरत ही भेजी जायगी।

[ग] रेलवे मुलाज़िम, पुलिस अधिकारियों इन्सपैक्टरों और मजिस्ट्रेटों के, दुर्घटना होने पर, कर्त्तव्य निर्द्धारित करने के लिये।

दुर्घटनाओं का नक्शा भेजना

धारा ८५—प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक सपरिषद् गवर्नर जनरल को अपनी रेलवे पर होने वाली दुर्घटनाओं का एक नक्शा, चाहे उससे कोई शारीरिक हानि हो अथवा न हो, ऐसे नमूने, तरीके, और समयों पर भेजेगा जैसी कि सपरिषद् गवर्नर जनरल आज्ञा दे।

रेलवे दुर्घटना में हानि प्राप्त मनुष्य की अनिवार्य डाक्टरी परीक्षा के विषय में आज्ञा

धारा ८६—जब कि कोई ऐसा मनुष्य जिसको रेलवे की दुर्घटना के कारण हानि हुई हो, हानि के लिये हरजे का दावा करे, तो कोई अदालत या वह मनुष्य जिसको कानून के अनुसार या फरीकैन की सम्मति से, उक्त दावे को तै करने का अधिकार प्राप्त हो, वह आज्ञा दे सकता है कि हानि प्राप्त मनुष्य की किसी ऐसे सनद याफ्ता डाक्टर द्वारा परीक्षा हो जिसका नाम कि आज्ञा में हो और जो किसी पक्ष का गवाह न हो, और परीक्षा के व्यय के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती या दे सकता है जैसी कि उक्त अदालत या मनुष्य उचित समझे।

नवाँ परिच्छेद

दण्ड और अपराध

रेलवे कम्पनियों के दण्ड

धारा १३ की आज्ञा उलंघन के कारण दण्ड

धारा ८७— यदि कोई रेलवे कम्पनी किसी ऐसी आज्ञा के अनुसार कार्य न करे जो धारा १३ के अनुसार दी गई हो, तो उस उक्त आज्ञा के उलंघन के कारण दो सौ रुपया गवर्नमेन्ट को तावान की तरह देने पड़ेंगे और पहिले दिन के पश्चात हर रोज पचास रुपये जब तक कि आज्ञा उलंघन होती रहे, अतिरिक्त तावान के रूप में देने पड़ेंगे।

धारा १६, १८, १९, २०, २१ या २४ की प्रतिकूलता के कारण दण्ड

धारा ८८— यदि कोई रेलवे कम्पनी, धारा १६ उपधारा (२) के प्रति कूल किसी रेलवे पर धूंए या अन्य संचालक शक्ति द्वारा कोई गोल पहिये वाली चीज चलाये, या धारा १८, धारा १९, धारा २०, या धारा २१ के प्रति कूल किसी रेलवे को खोले या काम में लावे या काम करे या धारा २४ के प्रति कूल किसी रेलवे को पुनः खोले या गोल पहिये वाली चीज को काम में लावे, तो दो सौ रुपये प्रति दिन तावान के रुप में गवर्नमेन्ट को उसे उस समय तक देने पड़ेंगे जब तक कि संचालक शक्ति, काम, गोल पहिये वाली चीज़ उक्त किसी धारा के प्रति कूल काम में आती रहे।

धारा ४७, ५४ या ६५ के अनुसार स्टेशनों पर कुछ लेख-पत्र न रखने या प्रदर्शन न करने के कारण दण्ड

धारा ८९— यदि कोई रेलवे कम्पनी उन रजिस्टरों या लेख पत्रों के सम्बन्ध में, जिन का उस के रेलवे स्टेशनों पर निरीक्षण के लिये रखा जाना या विशिष्ट रूप से चिपकाया जाना आवश्यक है, धारा ४७ की उपधारा (६), धारा ५४ की उपधारा (२) या धारा ६५ की आज्ञाओं के अनुकूल काम न करे, तो उसे आज्ञा उलंघन के कारण उस समय तक गवर्नमेन्ट को

पचास रुपया प्रति दिन तावान के रूप में देने पड़ेंगे जब तक कि आज्ञा उल्लंघन होती रहे।

धारा ४७ द्वारा आवश्यक नियमों के न बनाने के कारण दण्ड

धारा ९० — यदि कोई रेलवे कम्पनी, सामान्य नियमों के बनाने के सम्बन्ध में, धारा ४७ की आज्ञाओं के अनुकूल काम न करे, तो उसे गवर्नमेन्ट को उस समय तक पचास रुपये प्रति दिन तावान के रूप में देने पड़ेंगे जब तक कि आज्ञा उल्लंघन होती रहे।

धारा ४८ के अनुसार निर्णय-पालन न करने के कारण दण्ड

धारा ९१ — यदि कोई रेलवे कम्पनी, धारा ४८ के अनुसार दिये गये सपरिषद् गवर्नर जनरल के किसी निर्णय के अनुसार काम करने से इन्कार करे या असावधानी करे, तो उसे दो सौ रुपये प्रति दिन उस समय तक गवर्नमेन्ट को तावान के रुपये देने पड़ेंगे जब तक कि इन्कार या असावधानी होती रहे।

धारा ५२ या ८५ के अनुसार नक्शों के भेजने में विलम्ब करने के कारण दण्ड

धारा ९२ — यदि कोई रेलवे कम्पनी किसी नक्शे के भेजने के सम्बन्ध में धारा ५२ या ८५ की आज्ञाओं के अनुकूल काम न करे, तो उसे पचास रुपये प्रति दिन उस समय तक गवर्नमेन्ट को तावान के रूप में देने पड़ेंगे जब तक कि उस दिन से पन्द्रह दिन के पश्चात आज्ञा उल्लंघन होती रहे जो दिन कि नक्शे के भेजने के लिये नियत हो।

लदे जाने वाले बोझों की बाबत आदि सम्बन्धी धारा ५३ या ६३ की आज्ञाओं में असावधानता करने के कारण दण्ड

धारा ९३ — यदि कोई रेलवे कम्पनी धारा ५३ या ६३ की आज्ञाओं को, उस बोझ की हद से अधिक सीमा के सम्बन्ध में जो किसी माल गाड़ी या खुली गाड़ी में ले जाया जाना या ऐसे मुसाफिरों की अधिक से अधिक संख्या के सम्बन्ध में जो रेलगाड़ी के किसी कमरे में बैठाये जा सकें, या उस मालगाड़ी या खुली गाड़ी पर उस बोझ के प्रकट कर देने के सम्बन्ध में या उस रेलगाड़ी के कमरे के भीतर या ऊपर उस संख्या के प्रकट कर देने

के सम्बन्ध में प्रतिकूलता करे, या जान बूझ कर किसी ऐसे मनुष्य को जो किसी ऐसी माल गाड़ी या खुली गाड़ी का मालिक हो जो उसकी रेलवे पर होकर आती हो, उक्त धाराओं में से पहिली धारा की आज्ञाओं की प्रतिकूलता करे, तो उसे उस समय तक बीस रुपये प्रति दिन गवर्नमेन्ट को तावान के रूप में देने पड़ेंगे जब तक कि दोनों धाराओं में से किसी धारा की प्रतिकूलता होती रहे।

यात्रियों और रेलवे के नौकरों के बीच में सूचक-सामिग्री स्थित रखने के लिये धारा ६२ की आज्ञा पालन न करने के कारण दण्ड

धारा ९४— यदि कोई रेलवे कम्पनी सपरिषद् गवर्नर जनरल की किसी ऐसी आज्ञा के पालन में, जो धारा ६२ के अनुसार किसी ऐसी ट्रेन में जिसे वह चलाती हो और जो मुसाफिरों को लेजाती हो, खबर पहुंचाने के ऐसे पर्याप्त साधनों के संग्रह करने और उचित प्रबन्ध के साथ कायम रखने के सम्बन्ध में कसूर करे, जिनको सपरिषद् गवर्नर जनरल ने पसन्द कर लिया हो, तो उसे हर ऐसी ट्रेन के लिये जो उक्त आज्ञा के प्रतिकूल चले, बीस रुपये तावान के रूप में गवर्नमेन्ट को देने पड़ेंगे।

धारा ६४ के अनुसार स्त्रियों के लिये रक्षित कम्पार्टमेन्ट न रखने के कारण दण्ड

धारा ९५— यदि कोई रेलवे कम्पनी स्त्रियों के लिये रक्षित (Reserved) कमरे रखने के सम्बन्ध में या उनमें पाखानों का प्रबन्ध रखने के सम्बन्ध में, धारा ६४ की आज्ञाओं के प्रतिकूल काम करे, तो उसे हर ऐसी ट्रेन के लिये जिसके सम्बन्ध में कि आज्ञा उलंघन होती रहे, गवर्नमेन्ट को बीस २ रुपये तावान के रूप में देने पड़ेंगे।

धारा ८३ और धारा ८४ के अनुसार आवश्यक दुर्घटनाओं की सूचना न देने के कारण दण्ड

धारा ९६— यदि कोई रेलवे कम्पनी धारा ८३ और उन नियमों के अनुसार जो धारा ८४ के अनुसार उस समय प्रचलित हों, आवश्यक, किसी दुर्घटना की सूचना देने में कुसूर करे, तो उसे उस समय तक जब तक कि उक्त कुसूर होता रहे, गवर्नमेन्ट को सौ रुपये प्रति दिन तावान के रूप में देने पड़ेंगे।

दण्ड—धन का वसूल किया जाना

धारा ९७—[१] जब किसी रेलवे कम्पनी पर, इस परिच्छेद की ऊपर कही गई आज्ञाओं के अनुसार किसी कार्य या चूक के कारण, गवर्नमेन्ट को किसी रकम के देने का दण्ड हुआ हो, तो रकम उस ज़िला कोर्ट में नालिश द्वारा वसूल की जा सकती है जिसके विचार अधिकार [Jurisdiction] के भीतर वह स्थान हो जहां कि उक्त कार्य या चूक हो।

[२] उक्त नालिश सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त कर दायर की जानी चाहिये और उक्त नालिश में वादी [मुद्दई] सपरिषद् भारत सचिव होंगे।

[३] सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह किसी ऐसी रकम को, कुल या उसका कोई भाग, माफ़ करदे, जिसके गवर्नमेन्ट को दिये जाने का इस परिच्छेद की उपर्युक्त आज्ञाओं के अनुसार दण्ड हुआ हो।

इस परिच्छेद की पूर्वोक्त आज्ञाओं के द्वारा कार्य, दफ़े की या पूर्ति कर स्थिति में

धारा ९८—उपर्युक्त आज्ञाओं की किसी बात का ऐसा अर्थ न लिया जायगा जिस से कि गवर्नमेन्ट किसी रेलवे कम्पनी को उस कर्तव्य के सम्पन्न करने के सम्बन्ध में, जो इस एक्ट द्वारा उस पर लगाया गया हो, विवश करने के अभिप्राय के लिये, उस नालिश के पहले या साथ २, जिसका वर्णन कि उपर्युक्त अन्तिम धारा में हुआ है कार्यवाही का कोई और तरीक़ा काम में लाने से बाज़ रहेगी।

रेलवे के नौकरों द्वारा अपराध

धारा ८० द्वारा लगाये कर्तव्य [ड्यूटी] का पालन न करना

धारा ९९—यदि कोई रेलवे का नौकर, जिसका कर्तव्य धारा ८० की आज्ञाओं का पालन करना हो, असावधानता से या जान बूझ कर उन आज्ञाओं के पालन करने में कुसूर करे, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या तीन सौ रुपये तक हो सकती है।

धारा १००—जब कोई रेलवे का नौकर, जब कि वह अपने काम [Duty] पर हो, नशे की दशा में हो, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है, या जहां कि उसके कर्त्तव्य की अनुचित सम्पादनता से किसी ऐसे मनुष्य की, जो रेलवे पर सफर कर रहा हो या रेलवे पर हो, रक्षा आशंकित हो जाने की सम्भावना हो, तो ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि एक वर्ष तक की होसकती है, या जुरमाने का दण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायगे।

नशा में होना

धारा १०१—यदि कोई रेलवे का नौकर जब कि वह अपने काम पर हों, किसी निम्न लिखित कार्य द्वारा किसी मनुष्य की सलामती संशय में डाले—

मनुष्यों की सलामती संशय में डालना

[क] किसी ऐसे सामान्य नियम के उल्लंघन द्वारा, जो इस एक्ट के अनुसार बना हो स्वीकृत हुआ हो, प्रकाशित हुआ हो, और विज्ञापित हुआ हो। या,

[ख] किसी ऐसे नियम या आज्ञा के उलंघन द्वारा जो उक्त नियम के प्रतिकूल न हो, और जिसका पालन करना उक्त नौकर पर उसकी नौकरीकी शर्त्तों के अनुसार आवश्यक हो, और जिसकी उसे सूचना हो, या

[ग] किसी शीघ्रता या असावधानता के कार्य या चूक द्वारा,

उसे ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक की होसकती है या ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या पांच सौ रुपये तक हो सकती है या दोनों दण्ड दिये जायगे।

धारा १०२—यदि कोई रेलवे का नौकर किसी मुसाफिर को ऐसे दरजे में प्रवेश करने के लिये विवशकरे, या विवश करने की चेष्टा करे, या प्रवेश कराये, जिसमें मुसाफिरों की वह अधिक से अधिक संख्या पहिले से हो जो धारा ९२ के अनुसार उस दर्जे पर

यात्रियों को उन दरजों में प्रवेश करने के लिये विवश करना जो पहिले ही से भरे हों।

अन्य अपराध

धारा १०६— यदि किसी मनुष्य से, धारा ५८ के अनुसार

माल का झूठा हिसाब देना | किसी माल के सम्बन्ध में कोई हिसाब पेश करने के लिये कहा जाय, जो वास्तव में झूठा हो, तो उसे, और यदि वह उक्त माल का मालिक नहीं है तो उस के मालिक को भी, ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या माल के प्रत्येक मन या उस के भाग के लिये दश रुपये तक हो सकती है, और उक्त जुरमाना उस शरह या अन्य महसूल के अतिरिक्त होगा जिस का कि माल जुम्मेदार हो।

धारा १०७— यदि धारा ५९ के प्रति कूल कोई मनुष्य

रेलवे पर अनुचित रूप से भयानक या हानि कर माल लाना | अपने साथ रेलवे पर कोई भयानक या हानिकर माल लावे, या रेलवे पर लेजाने के लिये कोई ऐसा माल पेश करे या दे, उस को ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या पांचसौ रुपये तक हो सकती है और वह किसी ऐसी क्षति, हानि या खराबी के लिये भी जुम्मेदार होगा जो उक्त माल के रेलवे पर उक्त प्रकार से लाये जाने के कारण हो।

धारा १०८— यदि कोई मुसाफिर, बिना उचित और

ट्रेन गाड़ी में सूचक-सामिग्री में अनावश्यकतः हस्तक्षेप करना | पर्य्याप्त कारण के, उस सामग्री का प्रयोग करे या उस सामग्री में हस्त क्षेप करे, जो किसी रेलवे प्रबन्धक ने मुसाफिरों और उन रेलवे के नौकरों के दरम्यान खबर पहुंचाने के लिये संग्रह की हो जिन की निगरानी में कि ट्रेन गाड़ी हो, उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक होसकती है।

धारा १०९— [१] यदि कोई मुसाफिर किसी ऐसे दरजे में

रिजर्व्ड या पहिले से भरे कम्पार्टमेन्ट में प्रवेश करना या न भरे हुए कम्पार्टमेन्ट में प्रवेश करने से रोकना | प्रविष्ट [दाखिल] होकर, जो रेलवे प्रबन्धक द्वारा अन्य मुसाफिर के काम में आने के लिये रक्षित हो, या जिसमें मुसाफिरों की वह अधिक से

अधिक संख्या पहिले से मौजूद हो जो उस दरजे में या दरजे के ऊपर धारा ६३ के अनुसार प्रदर्शित की गई हो, उस समय जब कि उससे किसी रेलवे के नौकर द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाय, उक्त दरजे के छोड़ने से इन्कार करे, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक की होसकती है।

[२] यदि कोई मुसाफिर दूसरे मुसाफिर के उचित प्रवेश को किसी ऐसे दरजे में रोके जो रेलवे प्रबन्धक द्वारा रोकने वाले मुसाफिर के लिये रक्षित [Reserved] न हो या जिसमें मुसाफिरों की वह अधिक से अधिक संख्या पहिले से न हो, जो उस दरजे में या दरजे के ऊपर धारा ६३ के अनुसार प्रदर्शित की जावे, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक होसकती है।

तमाखू पीना

धारा ११०—[१] यदि कोई मनुष्य, उसी दरजे के अपने साथी मुसाफिरों [यदि कोई हो] की रजामन्दी बिना, किसी दरजे में तमाखू पीवे जो उस दरजे के अतिरिक्त हो जो उक्त अभिप्राय के लिये विशेष रूप से संरक्षित किया गया हो, उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक होसकती है।

[२] यदि कोई मनुष्य किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा न पीने के लिये आगाह किये जाने पश्चात, उक्त प्रकार तमाखू पीता रहे, तो उपधारा [१] में वर्णित जुम्मेदारी उठाने के अतिरिक्त किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा वह उस गाड़ी से निकाला जा सकता है जिसमें कि वह सफ़र कर रहा हो।

नोटिस उखाड़ना, फाड़ना या बिगाड़ना

धारा १११—यदि कोई मनुष्य, इस सम्बन्ध में अनुमति बिना, किसी ऐसे तख्ते या कागज़ को उखाड़ डाले या जान बूझ कर नुकसान पहुंचावे जो रेलवे प्रबन्धक की आज्ञा से रेलवे पर या किसी मोटर गाड़ी वाली चीज़ पर टंकाया या लगाया गया हो, या किसी ऐसे तख्ते या कागज़ के किसी अक्षर या अङ्क को मिटावे या बदले, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक होसकती है।

धारा ११२— यदि कोई मनुष्य, रेलवे प्रबन्धक को धोका देने की नीयत से—

उचित पास या टिकिट बिना छलतः यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना

[क] रेलवे की किसी गाड़ी में धारा ६८ के प्रतिकूल प्रवेश करे, या

(ख) किसी ऐसे सिंगिल पास या टिकिट को जो किसी पूर्व यात्रा में पहिले प्रयुक्त होचुका हो, या वापिसी टिकिट की दशा में, उसके अर्द्ध भाग को, जो उक्त प्रकार पहिले प्रयुक्त हो चुका हो, काम में लावे या काम मे लाने की चेष्टा करे,

तो उसे उस फासले के लिये इकहरे किराये के अतिरिक्त जो उस ने सफर किया हो, ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या सौरुपये तक होसकतीहै।

धारा ११३—(१) यदि कोई मुसाफिर किसी ट्रेन गाड़ी में अपने पास बिना उचित पास या उचित टिकिट के रखे हुए सफर करे, या किसी ट्रेन गाड़ी में रह कर या उससे उतर कर, धारा ६९ के अनुसार

बिना पास या टिकिट के या अपर्याप्त टिकिट या पास से, या उस दूरी से अधिक यात्रा करना जहां तक यात्रा करने का अधिकार हो

मांगे जाने पर तुरन्त ही, अपना पास या टिकिट, जांच के लिये पेश करने में कुसूर करे या इन्कार करे, या न दे, तो किसी ऐसे रेलवे मुलाजिम के मांगने पर, जिसे रेलवे प्रबन्धक ने इस सम्बन्ध में नियुक्त किया हो, ऐसे अतिरिक्त महसूल देने का जुम्मेदार होगा जिसका आगे चलकर इस धारा में वर्णन हुआ है, उस दूरी के साधारण इकहरे किराये के सिवाय जो वह सफर कर चुका हो, या जहां कि उस स्टेशन के सम्बन्ध में सन्देह हो जहां से कि वह रवाना हुआ हो तो उस स्टेशन से साधारण इकहरे किराये के सिवाय जिससे कि ट्रेन गाड़ी वास्तवमें चली हो, या यदि गाड़ी के आरम्भिक रवाना होने पश्चात गाड़ी में सफर करने वाले मुसाफिरों के टिकटों की जांच हुई हो, तो उस स्थान से साधारण इकहरे किराये के सिवाय जहां कि टिकिट जांचे गये हों, या उनके एक

से अधिक बार जांचे जाने की दशा में, जहां कि अन्तिम बार जांचे गये हों।

(२) यदि कोई मुसाफिर किसी ऐसी गाड़ी में या गाड़ी से या ट्रेन से यात्रा करे या यात्रा करने की चेष्टा करे जो उस गाड़ी या ट्रेन से ऊंचे दरजे की हो जिस के लिये कि उसने पास प्राप्त किया हो या टिकिट खरीदा हो, या उस स्थान से आगे गाड़ी में या गाड़ी पर सफर करे जहां तक सफ़र करने का वह टिकिट या पास के द्वारा अधिकारी हो, तो किसी ऐसे रेलवे मुलाज़िम के मांगने पर जो रेलवे प्रबन्धक द्वारा इस सम्बन्धमें नियुक्त हो, उस अतिरिक्त महसूल के देने का जुम्मेदार होगा जिसका इस धारा में आगे चलकर वर्णन हुआ है, उस शेष किराये के सिवाय जो उसके दिये हुए किराये और उस किराये के दरम्यान हो जो इस सफर के सम्बन्ध में देय हो जो उसने किया हो।

(३) यह अतिरिक्त किराया, जिसका निरूपण उपधारा (१) और उपधारा (२) में हुआ है,

(क) जब कि मुसाफिर किराया चढ़ने के पश्चात तुरत ही और किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा पकड़े (Detected) जाने से पूर्व उस रेलवे मुलाज़िम से जो ट्रेन में नौकरी पर हो, किराया चढ़ने का हाल कह दे तो, एक रुपया, दो आना या आठ आना होगा, और

(ख) किसी दूसरी दशा में, छै रुपये, एक रुपया या तीन रुपये होंगे,

अर्थात यदि मुसाफिर ऊंचे दरजे या नीचे दरजे की गाड़ी में या किसी और दरजे या प्रकार की गाड़ी में सफरकर रहा हो, या उसमें सफर किया हो या सफर करनेकी चेष्टाकी हो तो उस दरजे या प्रकार की गाड़ी के लिहाज़ से:

परन्तु शर्त यह है कि किसी दशा में उक्त अधिक किराया—

(क) जब कि उसके देने की जुम्मेदारी उपधारा (१) के अनुसार उत्पन्न होती हो, उस साधारण इकहरे किराये की रकम से न घटेगा जो जिसके देने का वह मुसाफिर जिस पर किराया चढ़ा हो उक्त उपधारा के अनुसार जुम्मेदार है, या

(ख) जब कि उसके देने की जुम्मेदारी उपधारा (२) के अनुसार उत्पन्न होती हो, तो उस शेष रकम से अधिक न बढ़ेगा जो उस मुसाफिर द्वारा दिये गये किराये, जिस पर कि महसूल चढ़ा हो और उस किराये के दरम्यान हो जो उस सफर के सम्बन्ध में देय हो जो उस मुसाफिर ने किया हो।

(४) यदि कोई मुसाफिर अतिरिक्त किराया और महसूल जिसका वर्णन कि उपधारा (१) में हुआ है, या अतिरिक्त किराया और शेष महसूल जिसका वर्णन कि उपधारा (२) में हुआ है, देने का जुम्मेदार हो, उक्त उपधाराओं में से एक या दूसरी उपधारा के अनुसार, जैसी कि दशा हो, उसके मांगे जाने पर उक्त किराया (आदि) देने में कुसूर करे या इन्कार करे तो, इस सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक द्वारा नियुक्त किसी रेलवे मुलाज़िम के किसी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देने पर, वह रकम जो उस पर वाजिब हो, मुसाफिर से मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार वसूल योग्य होगी मानो उक्त मजिस्ट्रेट ने मुसाफिर पर जुरमाना किया हो, और ज्यों ही कि वसूल होजाय, रेलवे प्रबन्धक को वह रकम देदी जायगी।

वापसी टिकिट या कोई अद्धा बदलना

धारा ११४— यदि कोई मनुष्य वापसी टिकट का कोई अद्धा बेचे या बेचने की चेष्टा करे या अपने पास से पृथक करे या पृथक करने की चेष्टा करे, इस अभिप्राय से कि दूसरा मनुष्य उससे सफर कर सके, या वापसी टिकट का ऐसा अद्धा खरीदे तो, उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है, और यदि वापसी टिकट के उस अद्धे का खरीदार उससे सफर करे या सफर करने की चेष्टा करे तो, उसे ऐसे अतिरिक्त (Additional) जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की हद उस सफर के सम्बन्ध में जिसका टिकट के द्वारा अधिकारी हो, इकहरे किराये की रकम तक हो सकती है।

पूर्वोक्त अन्तिम दो धाराओं के जुरमाने के सम्बन्ध की कार्यवाही

धारा ११५— किसी ऐसे जुरमाने का जो धारा ११२ या पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार किया जाय, वह अंश जिसका अभिप्राय उक्त धाराओं में वर्णित इकहरे किराये से है, ज्यों

हो कि वसूल हो, उक्त जुरमाने के किसी अंश के गवर्नमेन्ट के प्रति, जमा करने से पूर्व, रेलवे प्रबन्धक को अदा कर दिया जायगा।

पास या टिकिट का बदलना या बिगाड़ना

धारा ११६— यदि कोई मुसाफिर जान बूझ कर अपने पास या टिकट कोऐसा बदलदे या बिगाड़दे कि उसकी तारीख, संख्या या उसका कोई मूल भाग पढ़े जाने योग्य न रहे, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक होसकती है।

रेलवे में छूत या सांक्रामिक रोग सहित यात्रा करना या ऐसे मनुष्य को यात्रा करने देना

धारा ११७— (१) यदि कोई मनुष्य जो छूत या सांक्रामिक रोग से ग्रसित हो, धारा ७१ उपधारा (२) के प्रतिकूल, किसी रेलवे पर प्रवेश या यात्रा करे, तो उसे और उस मनुष्य को, जिसकी निगरानी में उक्त मनुष्य उस समय रेलवे पर हो जब कि उसने उक्त प्रकार प्रवेश किया या सफर किया, ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है, उस किराये की जब्ती के सिवाय जो उनमें से किसी ने अदा किया हो और पास या टिकट की जब्ती के सिवाय जो उनमें से किसी ने प्राप्त किया और खरीदा हो, और रेलवे से रेलवे के किसी मुलाज़िम द्वारा निकाला जा सकता है।

(२) यदि कोई ऐसा रेलवे का मुलाज़िम जो धारा ७१ उपधारा (२) में निरूपित किया गया है, यह जान कर कि कोई मनुष्य किसी छूत या सांक्रामिक रोग से पीड़ित होरहा है, जान बूझकर उक्त मनुष्य को, दूसरे मुसाफिरों से उसके पृथक रखने का प्रबन्ध किये बिना, रेलवे पर सफर कराते हैं, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक हो सकती है।

चलती गाड़ी में ठहरना या और तरह अनुचित रूप से रेल में यात्रा करना

धारा ११८— (१) यदि कोई मुसाफिर किसी गाड़ी में, जब कि ट्रेन चल रही हो, प्रवेश करे या गाड़ी से उतरे या प्रवेश करने या उतरने की चेष्टा करे, या गाड़ी की बाहर तरफ़ को होकर जो उस प्लेटफार्म या अन्य स्थान के

मिला हुआ है जो सवारियों के गाड़ी में चढ़ने या उतरने के लिये रेलवे प्रबन्धक द्वारा नियत हो, दूसरी ओर से गाड़ी में प्रवेश करे या गाड़ी से उतरे, या प्रवेश करने या उतरने की चेष्टा करे या किसी गाड़ी का उस समय बगली दरवाजा खोले जब कि ट्रेन चल रही हो, उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक होसकती है।

(२) यदि कोई मुसाफिर, किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा बाज़ रहने के लिये आगाह किये जाने पर भी, किसी गाड़ी की छत, सीढ़ियों या पाथ दान या एन्जिन पर या ट्रेन के किसी ऐसे अन्य भाग पर जो मुसाफिरों के काम में आने के लिये न बना हो, सफ़र करने में हट करे, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है और वह रेलवे से किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा निकाला जा सकता है।

उस गाड़ी या अन्य स्थान पर प्रवेश करना जो स्त्रियों के लिये रिज़र्वड हो	धारा ११९—यदि कोई मर्द मनुष्य, यह जानते हुए कि अमुक गाड़ी, दर्जा, कमरा या अन्य स्थान रेलवे प्रबन्धक द्वारा स्त्रियों के नितान्त प्रयोग के लिये

रिज़र्वड है, उचित उज़्र बिना, उक्त स्थान में प्रवेश करे या प्रविष्ट होने पर, जब कि उससे किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा उस स्थान से निकल जाने को कहा जाय, वहां रहे, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक होसकती है उस किराये की ज़ब्ती के सिवाय जो उसने अदा किया हो और उस पास या टिकट की ज़ब्ती के सिवाय जो उसने प्राप्त या खरीद किया हो, और वह किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है।

रेलवे में नशे में होना या अन्य कष्ट कर कार्य करना	धारा १२०—यदि कोई मनुष्य, किसी रेलवे गाड़ी में या रेलवे के किसी भाग पर,

(क) नशे की दशा में हो, या,

(ख) कोई कष्ट कर (Nuisance) कार्य या लज्जा जनक कार्य

(Act of indecency) करे या अश्लील भाषा या गाली प्रयोग करे, या

(ग) जान बूझ कर और बिना उचित उज़्र के किसी मुसाफिर के आराम में खलल डाले या किसी लैंप को बुझावे,

तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है, किसी ऐसे किराये की जवती के सिवाय जो उसने अदा किया हो और किसी पास या टिकट की जब्ती के सिवाय जो उसने प्राप्त या खरीद किया हो, और वह किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है।

रेलवे के नौकर को उस के सरकारी काम से रोकना

धारा १२१ — यदि कोई मनुष्य जान बूझकर किसी मुलाज़िम रेलवे के सरकारी काम में रुकावट या विघ्न डाले तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक हो सकती है।

अनुचित प्रवेश और अनुचित प्रवेश से बाज़ आने से इनकार

धारा १२२ — यदि कोई मनुष्य अनुचित रूप से रेलवे पर प्रवेश करे तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

(२) यदि कोई मनुष्य जिसने रेलवे पर उक्त प्रकार प्रवेश किया, किसी रेलवे मुलाज़िम या रेलवे प्रबन्धक की ओर से किसी अन्य मनुष्य द्वारा कहे जाने पर भी रेलवे से न निकले, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है और वह रेलवे मुलाज़िम या अन्य मनुष्य द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है।

ओमनीबस गाड़ियों को रेलवे के नौकरों की हिदायतों के बरखिलाफ़ ले जाना। खड़ा करना

धारा १२३ — यदि ट्राम गाड़ी, ओमनीबस, गाड़ी या अन्य सवारी का हांकने वाला या चलाने वाला, उस समय जब कि वह रेलवे के हाते में हो, किसी रेलवे मुलाज़िम या पुलिस अधिकारी की उचित आज्ञाओं का

मिला हुआ है जो सवारियों के गाड़ी में चढ़ने या उतरने के लिये रेलवे प्रबन्धक द्वारा नियत हो, दूसरी ओर से गाड़ी में प्रवेश करे या गाड़ी से उतरे, या प्रवेश करने या उतरने की चेष्टा करे या किसी गाड़ी का उस समय बगली दरवाजा खोले जब कि ट्रेन चल रही हो, उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक होसकती है।

(२) यदि कोई मुसाफिर, किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा बाज़ रहने के लिये आगाह किये जाने पर भी, किसी गाड़ी की छत, सीढ़ियों या पाय दान या एन्जिन पर या ट्रेन के किसी ऐसे अन्य भाग पर जो मुसाफिरों के काम में आने के लिये न बना हो, सफ़र करने में हठ करे, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है और वह रेलवे से किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा निकाला जा सकता है।

धारा ११९— यदि कोई मर्द मनुष्य, यह जानते हुए कि अमुक

उस गाड़ी या अन्य स्थान पर प्रवेश करना जो स्त्रियों के लिये रिज़र्वड हो	गाड़ी, दर्जा, कमरा या अन्य स्थान रेलवे प्रबन्धक द्वारा स्त्रियों के नितान्त प्रयोग के लिये

रिज़र्वड है, उचित उज़्र बिना, उक्त स्थान में प्रवेश करे या प्रविष्ट होने पर, जब कि उससे किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा उस स्थान से निकल जाने को कहा जाय, वहां रहे, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक होसकती है उस किराये की ज़ब्ती के सिवाय जो उसने अदा किया हो और उस पास या टिकट की ज़ब्ती के सिवाय जो उसने प्राप्त या खरीद किया हो, और वह किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है।

धारा १२०— यदि कोई मनुष्य, किसी रेलवे गाड़ी में या

रेलवे में नशे में होना या अन्य कष्ट कर कार्य करना	रेलवे के किसी भाग पर,

(क) नशे की दशा में हो या,

(ख) कोई कष्ट कर (Nuisance) कार्य या लज्जा जनक कार्य

(Act of indecency) करे या अश्लील भाषा या गाली प्रयोग करे, या

(ग) जान बूझ कर और बिना उचित वजह के किसी मुसाफिर के आराम में खलल डाले या किसी लैम्प को बुझावे,

तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक होसकती है, किसी ऐसे किराये की जब्ती के सिवाय जो उसने अदा किया हो और किसी पास या टिकट की जब्ती के सिवाय जो उसने प्राप्त या खरीद किया हो, और वह किसी रेलवे मुलाज़िम द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है।

धारा १२१— यदि कोई मनुष्य जान बूझकर किसी मुलाज़िम रेलवे के सरकारी काम में रुकावट या विघ्न डाले तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक हो सकती है।

रेलवे के नौकर को उस के सरकारी काम से रोकना

धारा १२२— यदि कोई मनुष्य अनुचित रूप से रेलवे पर प्रवेश करे तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

अनुचित प्रवेश और अनुचित प्रवेश के बाज आने से इन्कार

(२) यदि कोई मनुष्य जिसने रेलवे पर उक्त प्रकार प्रवेश किया, किसी रेलवे मुलाज़िम या रेलवे प्रबन्धक की ओर से किसी अन्य मनुष्य द्वारा कहे जाने पर भी रेलवे से न निकले, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है और वह रेलवे मुलाज़िम या अन्य मनुष्य द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है।

धारा १२३— यदि ट्राम गाड़ी, ओमनीबस, गाड़ी या अन्य सवारी का हांकने वाला या चलाने वाला, उस समय जब कि वह रेलवे के अहाते में हो, किसी रेलवे मुलाज़िम या पुलिस अधिकारी की उचित आज्ञाओं का

ओमनीबस ड्राइवरों या रेलवे के नौकरों की हिदायतों के सम्बन्ध में आज्ञा उल्लंघन करना

उलंघन करे तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या बीस रुपये तक हो सकती है

धारा १२४— निम्न लिखित इन दो दशाओं में, अर्थात–

फाटक खोलना या उचित रूप से बन्द न करना

(क) यदि कोई मनुष्य यह जानता हुआ या यह विश्वास करने का कारण रखता हुआ कि कोई एञ्जिन या ट्रेन किसी रेलवे लैन पर आरही है, किसी ऐसे फाटक को खोले जो सड़क के आर पार रेलवे के दोनों ओर लगा हो, या गुज़रे या गुज़रने की चेष्टा करे या किसी मवेशी, सवारी या अन्य चीज़ को रेलवे के आर पर हांके या ले जाये, या हांकने या लेजाने का प्रयत्न करे.

(ख) यदि, फाटक वाले की अनुपस्थिति में, कोई मनुष्य उक्त फाटक को, जिस का वर्णन ऊपर हुआ है, ज्यों ही कि वह मनुष्य और कोई मवेशी, सवारी या अन्य चीज़ जो उस की निगरानी में हो, फाटक के भीतर से गुज़र गये हों, बन्द न करे और न लगावे,

तो उक्त मनुष्य को ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

धार १२५— (१) किसी ऐसे मवेशी के मालिक या

पशुओं का अनुचित प्रवेश

ज़ुम्मेदार मनुष्य को जो किसी ऐसी रेलवे पर भटकती फिरे जो पशुओं के रोकने के लिये ठीक तरह से घिरी हुई हो, ऐसे जुरमाने का दण्ड होगा जिस की संख्या प्रत्येक पशु के लिये पांच रुपये तक हो सकती है किसी ऐसी रकम के सिवाय जो मवेशियों के अनुचित प्रवेश के कानून सन १८७१ (दफ़ा १ सन १८७१) के अनुसार वसूल की जा सकती हो या वसूल योग्य हो

(२) यदि कोई पशु, रेलवे पर उचित रूप से पार करने के अभि प्राय या अन्य अभि प्राय को छोड़ कर और प्रकार से, किसी रेलवे पर जान बूझ कर छोड़ दिया जाय या जान बूझ कर रहने दिया जाय तो, रेलवे प्रबन्धक की मरज़ी पर, उक्त पशु के ज़ुम्मेदार

मनुष्य या मालिक को ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जावेगा जिस की संख्या प्रत्येक पशु के हिसाब से दस रुपये तक हो सकती है, किसी ऐसी रकम के सिवाय जो पशुओं के अनुचित प्रवेश के कानून सन १८७१ [एक्ट १ सन १८७१] के अनुसार वसूल की जा सकती हो या वसूल योग्य हो।

[३] कोई ऐसा जुरमाना जो इस धारा के अनुसार किया जाय, यदि अदालत ऐसी आज्ञा दे उस तरह वसूल की जा सकती है जिस की आज्ञा कि पशुओं के अनुचित प्रवेश के कानून सन १८७१ [एक्ट १ सन १८७१] की धारा २५ में, है

[४] पशुओं के अनुचित प्रवेश के कानून सन १८७१ [एक्ट १ सन १८७१] की धारा ११ और २५ के शब्द "सरकारी सड़क" में रेलवे का सम्मिलित होना समझा जायगा और कोई रेलवे मुलाज़िम उन अधिकारों को काम में ला सकता है जो उक्त धाराओं में से पहिली धारा के अनुसार पुलिस-अधिकारियों को प्रदान हुए हैं।

(५) शब्द मवेशी का इस धारा में वही अर्थ है जो मवेशियों के अनुचित प्रवेश के कानून सन १८७१ [एक्ट १ सन १८७१) में है।

धारा १२६— यदि कोई मनुष्य कानून के विरुद्ध—

हानि पहुंचाने की नीयत से ट्रेन गाड़ी बरबाद करना या बरबाद करने का प्रयत्न करना

[क] किसी रेलवे पर या रेलवे के आर पार लकड़ी, पत्थर, या अन्य पदार्थ या चीज़ रखे या फेंके, या

[ख] किसी ऐसी रेल, स्लीपर, या अन्य वस्तु या चीज़ को जो किसी रेलवे से सम्बन्धित हो निकाले, हटावे, खोले या उस की जगह से पृथक करे, या

(ग) किसी ऐसे पाइन्टों या अन्य मशीनों को, जो किसी रेलवे से सम्बन्धित हों, फेरे, हिलावे, खोले या बदले, या

(घ) किसी रेलवे पर या रेलवे के निकट कोई सिगनल या रोशनी करे या दिखलाये, या किसी सिगनल या रोशनी को छिपावे या हटावे, या

(ङ) किसी ऐसी रेलवे के सम्बन्ध में कोई अन्य काम या चीज करे या कराये या करने की चेष्टा करे,

इस इरादे या जानकारी के साथ कि वह किसी ऐसे मनुष्य की सलामती में उस के काम से खतरा होने की सम्भावना है जो किसी रेलवे पर सफर कर रहा हो या किसी रेलवे में हो, तो उसे यावज्जीवन देश निकाले का दण्ड दिया जायगा या ऐसी मीयाद की कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है

धारा १२७— यदि कोई मनुष्य कानून के विरुद्ध किसी

हानि पहुंचाने की नीयत से उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना या पहुंचाने का प्रयत्न करना जो रेलवे से यात्रा कर रहे हों

ऐसी पहिये वाली चीज पर, चीज के मुकाबिले, अन्दर या ऊपर, जो किसी ट्रेन का भाग हो, कोई लकड़ी, पत्थर या अन्य चीज या वस्तु, फेंके, गिरावे या मारे, इस इरादे या जानकारी के साथ कि उस के कार्य से किसी ऐसे मनुष्य की सलामती में खतरा पड़ने की सम्भावना है जो किसी ऐसी उक्त पहिये वाली चीज या किसी ऐसी अन्य पहिये वाली चीज में या पर हो जो उसी ट्रेन का भाग हो, तो उसे यावज्जीवन देश निकाले का दण्ड दिया जायगा या ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है।

धारा १२८— यदि कोई मनुष्य किसी कानून विरुद्ध कार्य

इच्छा युक्त कार्य या कार्य त्याग द्वारा उन मनुष्यों की सलामती संशय में डालना जो रेलवे में यात्रा कर रहे हों

द्वारा, या किसी इच्छा युक्त कार्य त्याग या असावधानी के कारण, किसी ऐसे मनुष्य की सलामती खतरे में डाले या डलवाये जो किसी रेलवे पर सफर कर रहा हो या, रेलवे में हो, या किसी पहिये वाली चीज़ को किसी रेलवे पर रोके या रुकवाये या रोकने की चेष्टा करे तो उसे ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है।

धारा १२९—यदि कोई मनुष्य शीघ्रता से या असावधानी से कोई काम करे या ऐसा काम न करे जिस के करने के लिये वह कानून से बद्ध (पाबन्द) हो और उक्त कार्य त्याग से किसी ऐसे मनुष्य की सलामती में खतरा पड़ने की सम्भावना हो जो किसी रेलवे पर सफर कर रहा हो या रेलवे में हो, उसे ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या उसे जुरमानेका दण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जांयगे।

जल्दी या असावधानता के कार्य या कार्य त्याग द्वारा, उन मनुष्यों की सलामती संशय में डालना जो रेलवे में यात्रा कर रहे हों

धारा १३०—(१) यदि कोई नाबालिग (अप्राप्त व्यवहार) जो बारह वर्ष से कम अवस्था का हो, किसी रेलवे के सम्बन्ध में, उन कार्यों या कार्य—त्यागों में से, जिनका निरूपण पूर्वोक्त अन्तिम चार धाराओं में से किसी धारा में किया गया है, किसी कार्य या कार्य-त्यागका दोषी हो, तो भारतीय दण्ड संग्रह(ताजीरात हिन्द एक्ट ४५ सन १८६०) की धारा ८२ या ८३ में चाहे जो कुछ होते हुए, यह समझा जायगा कि उसने अपराध किया, और उसे दण्ड देने वाली अदालत को अधिकार है कि यदि वह उचित समझे, यह आज्ञा दे कि उक्त नाबालिग को, यदि लड़का है, बेंत मारने का दण्ड दिया जायगा, या यह आज्ञा दे सकती है कि उक्त नाबालिग का बाप या अभिभावक (Guardian) उस मीयाद के भीतर जो अदालत नियत करे, ऐसा मुचलका लिख दे जिसमें वह अपने को ऐसे दण्ड के लिये बद्ध होना स्वीकार करे, जो अदालत आज्ञा दे, ताकि उस नाबालिग को उक्त कार्यों या कार्य—त्यागों में से किसी कार्य या कार्य—त्याग के दुबारा दोषी होने से रोके।

विशेष आज्ञा बच्चों के उन कार्यों के सम्बन्ध में जिनसे रेलवे में यात्रा करने वालों की सलामती में संशय पड़े

(२) मुचलके की रकम, यदि जब्त होजाय, अदालत द्वारा इस प्रकार वसूल होकर होगी मानो वह उसी का किया हुआ जुरमाना हो।

(३) यदि बाप या अभिभावक उपधारा (१) के अनुसार उस समय के भीतर मुचलका न लावे जो अदालत ने नियत किया हो, उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

कार्य—प्रणाली

धारा १३१—(१) यदि कोई मनुष्य कोई ऐसा अपराध करे

कुछ धाराओं की प्रतिकूलता के अपराध में गिरफ्तारी

जिसका वर्णन धारा १००, १०१ ११९, १२०, १२१, १२६ १२७, १२८, या १२९ या धारा १३० की उपधारा (१) में हुआ है, तो वह मनुष्य बिना वारन्ट या अन्य लेख बद्ध इख्तयार नामे के किसी रेलवे मुलाज़िम या पुलिस अधिकारी द्वारा, या ऐसे अन्य मनुष्य द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है जिसे उक्त मुलाज़िम या पुलिस अधिकारी अपनी सहायता को बुलावे।

(२) उक्त प्रकार गिरफ्तार किया हुआ मनुष्य, कम से कम सम्भवित विलम्ब के साथ, ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने लेजाया जायगा जिसको उस मुकद्दमे का विचार करने या विचारार्थ सुपुर्द (Commit) करने का अधिकार हो।

धारा १३२—(१) यदि कोई मनुष्य, उपर्युक्त अन्तिम

ऐसे मनुष्यों की गिरफ्तारी जिनके भागने की सम्भावना हो या जिनका पता न मालूम हो

धारा में वर्णित अपराध को छोड़ कर, इस एक्ट के अनुसार कोई अपराध करे, या कोई अतिरिक्त महसूल या अन्य रकम जो धारा ११३ के अनुसार मांगी जाय न दे या देने से इन्कार करे, और यह विश्वास करने का कारण हो कि वह भाग जायगा या उसका नाम और पता मालूम न हो, और वह पूछने पर अपना नाम और पता न बतलाये, या यह विश्वास करने का कारण हो कि उस का बतलाया हुआ नाम और पता गलत है, तो कोई रेलवे मुलाज़िम या पुलिस अधिकारी या कोई अन्य मनुष्य जिसे उक्त मुलाज़िम या अधिकारी अपनी सहायता को बुलावे, उस मनुष्य को बिना वारन्ट या अन्य लेख बद्ध इख्तयार नामे के गिरफ्तार कर सकते हैं।

(२) गिरफ्तार किया हुआ मनुष्य उसकी जमानत देने पर छोड़ दिया जायगा, या, यदि उसका नाम और पता निश्चित हो जाय तो, मजिस्ट्रेट के सामने, जब आवश्यकता पड़े, उसकी उपस्थिति के लिये, बिना जमानत, मुचलका लिखने पर छोड़ दिया जायगा।

(३) यदि उक्त मनुष्य अपनी जमानत न दे सके और उसका ठीकनाम औरपता मालूम नहो,तो वह,कमसेकम सम्भवित विलम्ब के साथ, उस सब से पास के मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जायगा जिस को उसके विचार करने का अधिकार प्राप्त हो।

(४) ज़ाब्ता फौजदारी १८८२ (एक्ट १० सन १८८२) के अध्याय ३९ और ४२ की आज्ञाएं, जहां तक संभव हो सकें, उस जमानत और मुचलके से सम्बन्ध रखेंगी जो इस धारा के अनुसार दी जांय और लिखे जांय।

धारा १३३—प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट या उस मजिस्ट्रेट के

मजिस्ट्रेट जिसको इस एक्ट के अनुसार विचार अधिकार प्राप्त हो	सिवाय जिसके अधिकार दूसरे दरजे के अधिकारों सेकम न हो,

कोई मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अनुसार अपराध का विचार न करेगा।

धारा १३४—(१) कोई ऐसा मनुष्य जो इस एक्ट के प्रति-

विचार-स्थान	कूल या उस नियम के प्रतिकूल जो इस एक्ट के अनुसार बने, अपराध करे,

उस अपराध के लिये उस स्थान में विचारणीय होगा जहां कि वह हो या जिसको स्थानीय गवर्नमेंट इस संबन्ध में विज्ञापित करे, और उसका विचार उस अन्य स्थान में भी होगा जिसमें कि किसी और कानून के अनुसार जो उस समय प्रचलित हो उस का विचार हो सकता।

(२) उप धारा (१) के अनुसार प्रत्येक विज्ञप्ति (Notification) स्थानीय सरकारी गज़ट में प्रकाशित की जायगी और उसकी एक कापी जनता की सूचना के लिये प्रत्येक ऐसे रेलवे स्टेशन के किसी विशिष्ट (Conspicuous) स्थान पर प्रदर्शित की जायगी जिसके लिये कि स्थानीय गवर्नमेन्ट आज्ञा दे।

दसवाँ परिच्छेद

पूरक आज्ञाएं

धारा १३५—किसी एक्ट में या किसी ऐसे इकरारनामे या फैसला पन्चायती में जो किसी एक्ट के आधार पर हो, चाहे कोई बात खिलाफ ही क्यों न हो, रेलवियों के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धकों से, स्थानीय अधिकारियोंके संस्थाओं की सहायतार्थ, टैक्स वसूल करने का निम्न लिखित नियमों के अनुसार प्रबन्ध किया जायगा, अर्थात्:—

स्थानीय अधिकारियों की ओर से रेलवियों पर टैक्स

(१) कोई रेलवे प्रबन्धक किसी स्थानीय अधिकारी के संस्थाओं की सहायता के लिये किसी टैक्स के अदा करने का उस समय तक जुम्मेदार न होगा जब तक कि सपरिषद् गवर्नर जनरल, सरकारी गजट में (प्रकाशित) विज्ञप्ति द्वारा, उस रेलवे प्रबन्धक को उक्त टैक्स के अदा करने का जुम्मेदार करार न दे दें।

(२) जब कि इस धारा के खंड (१) के अनुसार सपरिषद् गवर्नर जनरल की विज्ञप्ति जारी रहे, रेलवे प्रबन्धक स्थानीय अधिकारी या तो उक्त विज्ञप्ति में वर्णित टैक्स अदा करने का जुम्मेदार होगा, या उसके बदले में ऐसी रकम [यदि हो] देने का जुम्मेदार होगा जिसे इस सम्बन्ध में सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त अफसर, उस मुआमले की समस्त अवस्थाओं का विचार करके, समय २ पर उचित और ठीक निर्णय करे।

(३) सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह इस धारा के खंड (१) के अनुसार विज्ञप्ति को मसूख कर दें या बदल दें।

(४) इस धारा की किसी बात के यह अर्थ न लिये जांयगे कि वह किसी रेलवे प्रबन्धक को किसी स्थानीय अधिकारी के साथ पानी या रोशनी के संग्रह के लिये या रेलवे के अहातों की सफाई के लिये या किसी ऐसे अन्य काम के लिये, इकरार (contract) करने से रोकेगा जो स्थानीय अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र फल के किसी भाग में जो उसकी निगरानी में हो, करता हो या करना चाहता हो।

(५) इस धारा में स्थानीय अधिकारी का अभिप्राय उस स्थानीय अधिकारी से है जिस की परिभाषा जनरल क्लाज़ज़ ऐक्ट १८८७ में की गई है, और उस में वह अधिकारी सम्मिलित है जो बान्धों या किनारों के क़ायम रखने या किसी नदी की रक्षा करने के सम्बन्ध में किसी कररूपी की निगरानी और प्रबन्ध का क़ानून के अनुसार अधिकारी (Entitled मुस्तहिक़) या सुपुर्द दार (Entrvsted) हो।

रेलवे की सम्पत्ति के प्रतिकूल इजराय डिगरी सम्बन्धी शर्त।

धारा १३६—(१) कोई पहिये वाली चीज़, कल, गढ़ा हुआ यंत्र, औज़ार, कल ठीक करने का सामान, सामग्री या असबाब जो रेलवे प्रबन्धक अपनी रेलवे पर या अपने स्टेशनों या कारख़ानों में ट्राफ़िक के अभिप्राय के लिये काम में लाता हो या उसने संग्रह किया हो, सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, किसी ऐसी अदालत या किसी ऐसे स्थानीय हाकिम या मनुष्य की, जिसको माल के कुर्क या ज़ब्त करने का या और प्रकार से इजराय डिगरी की हालत में माल लिवाने का क़ानून के अनुसार अधिकार हो, किसी डिगरी या आज्ञा की इजराय में लिये जाने योग्य न होगा।

(२) उस धारा (१) की किसी बात से यह अर्थ न लिया जायगा कि वह किसी अदालत के उस अधिकार में हस्तक्षेप डालेगा जो डिगरी या आज्ञा के इजराय में रेलवे की आमदनी कुर्क करने के सम्बन्ध में हो।

भारतीय दण्ड संग्रह के अध्याय ९ के अभिप्रायों के लिये रेलवे के नौकर सरकारी नौकर समझे जायँगे।

धारा १३७—(१) रेलवे का प्रत्येक नौकर भारतीय दण्ड संग्रह (ऐक्ट ४५ सन १८६०) के अध्याय ९ के अभिप्रायों के लिये सरकारी नौकर समझा जायगा।

(२) उक्त संग्रह की धारा १६१ की "क़ानूनी मुआवज़ा" की परिभाषा में, शब्द "गवर्नमेन्ट" से, उपधारा (१) के अभिप्रायों के लिये, यह समझा जायगा कि उस में रेलवे के नौकर का नियुक्त करने वाला इस हैसियत से शामिल है।

(३) कोई रेलवे का नौकर—

[क] किसी ऐसे माल को जो धारा ५५ या ५६ के अनुसार नीलाम पर रखा जाय, स्वयं या मुख्तार द्वारा, अपने नाम से दूसरे के नामसे, साझे में या दूसरों के साथ हिस्सों में, न खरीदेगा और न बोली बोलेगा, या।

[ख] किसी रेलवे प्रबन्धक की इस सम्बन्ध मे किसी आज्ञा के प्रतिकूल व्यापार में संलग्न न होगा।

(४) भारतीय दण्ड संग्रह (ताजीरात हिन्द) की धारा २१ में चाहे जो कुछ हो, रेलवे का नौकर, सिवाय उन अभिप्रायों के जिन का वर्णन उपधारा (१) में हुआ है, उक्त संग्रह के किसी और अभिप्रायों के लिये, सरकारी नौकर न समझा जायगा।

रेलवे प्रबन्धक को उस सम्पत्ति के सरसरी रूप से देने का कार्य क्रम जिसे रेलवे के नौकर ने रोक लिया हो।

धारा १३८—यदि कोई रेलवे का नौकर अपने पद से पृथक या मुअत्तल हो जावे, या मर जाय, भाग जाय या गैर हाजिर हो, और वह या उसकी स्त्री या बिधवा, या उस के खानदान या प्रतिनिधियों का आदमी, उस अभिप्राय की लेखबद्ध सूचना पाने पर भी, रेलवे प्रबन्धक को या उस मनुष्य को जिसे रेलवे प्रबन्धक इस सम्बन्ध में नियुक्त करे, कोई स्टेशन, रहने का मकान, दफतर या अन्यभवन उसके सम्बन्धी सामानों सहित, या कोई रजिस्टर, कागज़ात या अन्य चीजें, देने से इंकार या देने में असावधानी करे जो उपर्युक्त लिखो किसी घटना के होने के समय रेलवे प्रबन्धक की सम्पत्ति हो और उक्त रेलवे मुलाजिम के कब्जे या निगरानी में हो, तो किसी पहिले दर्जे के मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह उस प्रार्थना पत्र पर, जो रेलवे प्रबन्धक द्वारा या उस की ओर से दिया जाय, यह आज्ञा दे कि कोई अफसर पुलिस उचित सहायता के साथ उक्त भवन में प्रवेश करे और जिस को वहां पाये निकाल दें और उस पर कबज़ा कर ले. या रजिस्टरों, कागज़ों या अन्य चीज़ों पर कब्ज़ा करे और उनको रेलवे प्रबन्धक या उस मनुष्य को हवाला कर दे जो रेलवे प्रबन्धक की ओर से इस सम्बन्ध में नियुक्त हो।

धारा १३९—इस एक्ट के अभिप्रायोंके लिये या इस एक्ट के सम्बन्ध में, सपरिषद् गवर्नर जनरल की ओर से जो सूचना कि दी जाय, जो निर्णय कि किया जाय, जो हिदायत कि की जाय, जो आज्ञा या नियुक्ति कि की जाय, जो इजाजत, रजामन्दी या स्वीकृति कि प्रकट की जाय, या उस में जो अधिकार या शर्त्त वर्णित हो, पर्य्याप्त और पालने योग्य होगा यदि वह लेख बद्ध हो और उस पर भारतीय गवर्नमेंट के किसी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, या असिस्टैन्ट सेक्रेटरी, या किसीअन्य अधिकारी या नौकरके जो सपरिषद् गवर्नर जनरल की ओर से उन कामों के सम्बन्धमें काम करने का अधिकार रखता हो, जिनसे वह संबन्धित हो, हस्ताक्षर हों, और सपरिषद् गवर्नर जनरल किसी दशा में, उक्त कथित बातों में से किसी बात के सम्बन्ध में उस समय तक बद्ध (Bound पाबंद) न होंगे जब तक कि किसी लेख पर उक्त कथित रूप से हस्ताक्षर न हों।

सपरिषद् गवर्नर जनरल से प्राप्त पत्र व्यवहार को प्रकट करने की विधि।

धारा १४०—कोई ऐसा नोटिस या अन्य लेख पत्र, जिसका इस एक्ट के अनुसार रेलवे प्रबन्धक पर तामील होना आवश्यक याउचित हो उस रेलवे की दशामें जिसका प्रबंध गवर्नमेंट या हिन्दुस्तानी रियासत करती हो, मैनेजर पर और उस रेलवे की दशा में जिसका प्रबन्ध कोई रेलवे कंपनी करती हो, रेलवे कंपनी के भारत में रहने वाले एजेन्ट पर, निम्नलिखित तरीके से तामील किया जासकता है।

रेलवे प्रबन्धकों पर नोटिसों की तामील

(क) उक्त मैनेजर या एजेन्ट को नोटिस या अन्य लेख पत्र देकर के, या

(ख) उसके दफ्तर में उसे छोड़कर, या

(ग) किसी महसूल दी हुई चिट्ठी में मैनेजर या एजेन्ट के नाम उसके दफ्तर के पते पर डाक द्वारा भेज कर और भारतीय डाक खाना के कानून सन १८६६ के तीसरे भाग के अनुसार रजिस्टरी करा कर।

धारा १४१— कोई नोटिस या अन्य लेख पत्र जिसका रेलवे प्रबन्धक की ओर से किसी मनुष्य पर तामील होना इस एक्ट के अनुसार आवश्यक या उचित हो, निम्न प्रकार तामील किया जा सकता है,

रेलवे प्रबन्धकों द्वारा नोटिसों की तामील

(क) उक्त मनुष्य को उसे देकर, या

(ख) उक्त मनुष्य के साधारण रहने के स्थान या अन्तिम जाने हुए रहने के स्थान पर उसे छोड़ आकर, या

(ग) पहिले महसूल दी हुई चिट्ठी में, उक्त मनुष्य के नाम से उसके साधारण रहने के मकान के पते या अन्तिम जाने हुए रहने के मकान के पते पर डाक द्वारा भेज कर और भारतीय डाक खानों के कानून सन १८६६ के भाग तीन के अनुसार रजिस्टरी करा कर।

धारा १४२— जब किसी नोटिस या अन्य लेख पत्र की डाक द्वारा तामील की जाय, तो उसका उस समय तामील होना समझा जायगा जब कि चिट्ठी जिसमें उक्त नोटिस या लेख पत्र है, डाक के साधारण साधन से देदी जाय, और ऐसी तामील के साबित करने में यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि उक्त चिट्ठी पर जिसमें नोटिस या अन्य लेख पत्र हो ठीक रूप से पता लिखा गया और उसकी रजिस्टरी उचित रूप से की गई थी।

अनुमान जब कि नोटिस की तामील डाक द्वारा की जाय

धारा १४३— (१) धारा २२, धारा ३४ या धारा ८४ के अनुसार नियमका, या उपर्युक्त धाराओं में से किसी धाराके अनुसार या धारा ४७की उपधारा (४) के अनुसार नियम के रद्द होने, मंसूख होने या बदलने का प्रभाव उस समय तक न होगा जब तक कि वह भारतीय गजट में प्रकाशित न होजाय।

नियमों के सम्बन्ध में आज्ञाएं

(२) जब कि इस एक्ट के अनुसार बने हुए नियम के, या उक्त नियम के रद्द होने, मंसूख होने या बदलने की, इस एक्ट के अनुसार भारतीय गज़ट में प्रकाशित होने की आवश्यकता हो, तो उक्त

प्रकाशित होने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक होगा कि उन मनुष्यों को जो उससे प्रभावित हों इस तरीके से विशेष सूचना दी जायगी जैसी कि सपरिषद् गवर्नर जनरल, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे।

(२) सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह उस नियम को जो उन्होंने इस पद्ट के अनुसार बनाया हो रद्द कर दें या बदल दें।

धारा १४८—(१) सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह भारतीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा, स्वाधीनतः अथवा शर्तों के आधीन, किसी स्थानीय गवर्नमेन्ट को उन अधिकारों या कर्त्तव्यों में से कोई अधिकार या कर्त्तव्य सुपुर्द करे जो सपरिषद् गवर्नर जनरल को इस पद्ट के अनुसार किसी रेलवे के सम्बन्ध में प्राप्त हैं, और यह भी अधिकार है कि उसी या वैसी ही विज्ञप्ति द्वारा, यह निश्चय कर दें कि कौन सी स्थानीय गवर्नमेन्ट, उक्त प्रकार दिये हुए अधिकारों या कर्त्तव्यों के प्रयोग होने के अभिप्रायों के लिये रेलवे के सम्बन्ध में स्थानीय गवर्नमेन्ट समझी जायगी।

सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिकारों का दिया जाना

(२) सपरिषद् गवर्नर जनरल की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा १३९ की आज्ञाएं जहां तक कि सम्बन्धित की जा सकती हैं, उस स्थानीय गवर्नमेन्ट की कार्यवाहियों से सम्बन्धित होंगी जो उप धारा (१) की विज्ञप्ति के अनुसार सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिकार काम में लाती या कर्त्तव्यों का पालन करती हो।

धारा १४९—(१) ऐसी रेलवे के मैनेजर को जिसका प्रबन्ध गवर्नमेन्ट या देसी रियासत द्वारा होता हो, और ऐसी रेलवे के एजन्ट को जिसका प्रबन्ध रेलवे कम्पनी के द्वारा होता हो, अधिकार है कि वह लेख बद्ध दस्तावेज़ द्वारा, किसी रेलवे

रेलवे के मैनेजर और एजेन्ट का अदालत में प्रतिनिधित्व

मुलाजिम या अन्य मनुष्य को किसी दीवानी, फौजदारी या अन्य अदालत के सामने किसी कार्य वाही में, उस मैनेजर या ऐजेन्ट की ओर से काम करने का प्रति निधि होने का अधिकार प्रदान करे।

(२) वह मनुष्य जिसे रेलवे प्रबन्धककी ओर से पैरवी मुकद्दमा करने का अधिकार प्राप्त हो, बिना विचार इस बात के कि जाबता फौजदारी सन १८८२ (एक्ट १० सन १८८२) की धारा ४९५ में कुछ ही लिखा हो, मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना मुकद्दमों की पैरवी करने का अधिकारी होगा।

धारा १४६ सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि

दुखानी ट्रामवेज़ के सम्बन्ध में एक्ट को प्रचार-युक्त करने का अधिकार

वह भारतीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस एक्ट को या इस के किसी भाग को, किसी ऐसी ट्रामवे से सम्बन्धित कर दें जो स्टीम या अन्य कल की शक्ति से चलाई जाय।

धारा १४७— सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि

इस एक्ट से रेलवेज़ को पृथक रखने का अधिकार

वह समान विज्ञप्ति द्वारा, किसी रेलवे को, इस एक्टको किसी आज्ञासे मुस्तस्ना (पृथक) कर दें।

धारा १४८— (१) धारा ३ खण्ड (५), (६) और (७),

बातें जो "रेलवे और रेलवे के नौकर" की परिभाषाओं की पूरक हैं

और धारा ४ से १९ तक (दोनों सम्मिलित) धारा ४७ से ५२ तक (दोनों सम्मिलित) ५९, ७९, ८३ से ९२ तक (दोनों सम्मिलित), ९६, ९७, ९८, १००, १०१, १०२, १०४, १०७, १११, १२२, १२४, १३२ तक (दोनों सम्मिलित), १३४ से १३८ तक (दोनों सम्मिलित), १४०, १४१, १४४, १४५ और १४७ के अभिप्रायों के लिये, शब्द "रेलवे" से चाहे वह अकेला आया है या किसी शब्द के पहिले, वह रेलवे या रेलवे का भाग जो बनाई जा रही है और वह रेलवे या रेलवे का भाग जो मुसाफिरों, पशुओं और माल

हो सर्व साधारण के लिये लेजाने के काम में न आती हो और वह रेलवे भी सम्बन्धित है जो धारा २ खण्ड (४) में उक्त शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो।

(२) धारा ५, २१, ८३, १३०, १०१, १०३, १०४, १२१, १२२, १२५, और १३७, की उपधाराएं (१), (२) और (४), और धारा १३८ के अभिप्रायों के लिये, शब्द "रेलवे का नौकर" में वह मनुष्य सम्मिलित है जो रेलवे पर उस की सेवा के सम्बन्ध में किसी ऐसे मनुष्य द्वारा नियुक्त किया गयाहो जो रेलवे प्रबन्धक के साथ ठुआहिदा पूरा करता हो।

धारा १४६— भारतीय दण्ड संग्रह की धारा १२४ और

भारतीय दण्ड संग्रह का संशोधन

१९५ में "इस संग्रह या इङ्गलेन्ड के कानून द्वारा" के स्थान में शब्द "ब्रिटिश भारत या इङ्गलेन्डके कानून द्वारा" रखे जांयगे।

धारा १५०— सिन्ध पेशीन रेलवे एक्ट सन १८८७ (एक्ट ११

सिन्ध पेशीन रेलवे एक्ट सन १८८७ का संशोधन

सन १८८७) की भूमिका के उस भाग के बदले जिसका प्रारम्भ "जहां तक कि इसका सम्बन्ध है" शब्दों से होता है और अन्त "पूर्णतःसम्बन्धित हो" शब्दों के साथ होता है, यह शब्द रखे जांयगे "उत्तर पश्चिमीय रेलवे के हिस्से सिन्ध पेशीन के उस भाग से पूर्णतः सम्बन्धित होना जो सिन्ध प्रान्त के बाहर स्थित है।"

पहिला शैड्यूल

कानून जो मंसूख हुए

(दूसरी धारा देखिये)

संख्या और साल	नाम	मंसूखी की हद
	सपरिषद् गवर्नर जनरल के कानून	
३ सन १८६५	वाहकों का कानून १८६५	धारा ७ (जहां तक कि उसका संबन्ध रेलवेज़ से है) और धारा १०
४ सन १८७९	भारतीय रेलवे का कानून १८७९	कुल
४ सन १८८३	भारतीय रेलवे का कानून १८८३	कुल
११ सन १८८६	भारतीय ट्रामवेज़ का कानून १८८६	धारा ४९
	सपरिषद् लैफ्टैनैन्ट गवर्नर बंगाल के कानून	
२ सन १८८२	बंगाल की पुश्ताबन्दी का कानून सन १८८२	धारा १६, और धारा १७ में उक्त धारा के पहिले पैरे की शर्त्त और शब्द "या पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार" "और शब्द "या रेल की सड़क" जहां कहीं वह आये हों

दूसरा शैड्यूल

चीजें जो जब्त और बीमा की जायगी

(धारा ७५ देखिये)

(क) सोना और चांदी, सिक्केदार या बेसिक्केका, बना हुआ या बिना बना हुआ;

(ख) मुलम्मे की चीजें

(ग) कपड़े, जरबफ्त और लैस, जिसमें सोने चांदी का हिस्सा हो, परन्तु वह किसी अफसर, सिपाही, खलासी पुलिस अफसर, या ऐसे मनुष्य की, जो भारतीय वालन्टीयरों के कानून सन १८६९ के अनुसार वालन्टियरों में भरती हुआ हो, या किसी ऐसे सरकारी अफसर की जो ब्रटानिया या दूसरे देश का हो, और जो वरदी पहनने का अधिकारी हो, वरदी या वरदी का भाग न हो।

(घ) मोती, मूल्यवान पत्थर, जवाहरात और गहना आदि

(ङ) किसी प्रकार की जेब घड़ियां घर्मघड़ियां और टाइम पीस,

(च) सरकारी कागजात किफ़ालत

(छ) सरकारी स्टाम्प

(ज) बिल आफ एक्स चेन्ज, हुन्डी, प्रामेसरी नोट, बैंक नोट, और रुपयों के अदा करने की चिट्ठियां और अन्य दस्तावेजें,

(झ) नकशे, ठेका और जायदाद के दस्तावेज़

(ञ) रंगदार तसवीरें, खुदी हुई (तसवीरें) लैथो की छपी हुई चीजें, फोटो की तसवीरें, खुदी हुई नक्काशी, पत्थर की मूर्तियां, और कला कौशल के अन्य काम,

(ट) मिट्टी के बरतन और वह तमाम चीजें जो शीशे, चीनी मट्टी या संग मर मर की बनी हों,

(ठ) रेशम, बनी हुई या न बनी हुई दशा में, और चाहे दूसरी चीजों के साथ मिलाकर बना हो या न बना हो,

(ड) शाल

(ढ) लेस और पशमी चीजें (फ़र)

(ण) अफीम

(त) हाथीदांत, आबनूस, मूंगा और संदल की लकड़ी

(थ) मुश्क, सन्दल का तैल और अन्य आवश्यकीय तेल जो इत्र या अन्य सुगन्धि के बनाने में काम आते हों,

(द) गाने के और साइन्स के यन्त्र,

(ध) खास मूल्य की कोई चीज़ जिसे सपरिषद् गवर्नर जनरल ने भारतीय गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा, इस सूची में शामिल कर दिया हो।

मिलने का पता—

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी० पी० कम्पनी

अलीगढ़ सिटी।

कलाई पर बांधने की असली हैवडोमस मारके की

सप्ताहिक रिस्ट वाच

यह घड़ी कलाई पर बांधने वाली असली हैवडोमस कारखाने की बनी हुई है जो एक दफै चाबी देने से ७ दिन बराबर चलती रहती है इसमें लीवर और जोहल भी लगे हुए हैं घोड़े आदि की सवारी तथा कूद फांद में भी बन्द नहीं होती बहोत ही खूबसूरत चलने में निहायत मजबूत सच्चा वक्त देने वाली अन्धेरे में भी बिजली की तरह चमकने वाली चांदी के केस का मूल्य २०)

खूबसूरत लेडी वाच

गारन्टी ३ वर्ष

यह घड़ी बहुत ही खूबसूरत और मजबूत है वक्त सच्चा और ठीक बतलाती है इस कारखानेकी इस घड़ी को पबलिक ने बहुत पसन्द किया है कम खर्च बालानशीन छोटी साइज सेकिन्ड की सुई वाली मूल्य ६) कलाई पर बांधने की तस्मे सहित ७)

रेलवे रेगूलेटर वाच

गारन्टी ३ वर्ष

यह घड़ी प्रसिद्ध और पुराने कारखाने की बनी हुई है इसके डाइल पर अन्जन की तस्वीर बनी हुई बहुत मजबूत और सच्चा वक्त देने वाली खूबसूरत और दर्शनीय है इसी से तो रेलवे मुलाजिम इसको अधिक खरीदते हैं नम्बर १०१ का मूल्य ६)

मिलने का पता—

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी, पी, कम्पनी

अलीगढ़ [illegible]